

अ. सामान्य आंकड़े				
क्र०सं०	विवरण		आंकड़े	
1	क्षेत्रफल		2,40,928 वर्ग किमी०	
2	जनसंख्या			
	अ.	2001 की जनगणना के अनुसार	16.62 करोड़	
	ब.	2012-13 (पुनरीक्षित अग्रिम आगणन के अनुसार)	20.63 करोड़	
3	अ.	जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०)	690 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०	
	ब.	जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०)	828 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी०	
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)		29.43 प्रतिशत	
5	अ.	साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	56.27 प्रतिशत	
	ब.	साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत = 74.04 प्रतिशत)	69.72 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्युदर (प्रति 1,000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत = 42 प्रति 1,000 जन्म पर)		53 प्रति 1,000 जन्म पर	
7	जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 66.10 वर्ष)		62.70 वर्ष	
8	गिनी गुणांक ¹			
	अ.	ग्रामीण (सम्पूर्ण भारत = 0.29)	0.36	
	ब.	शहरी (सम्पूर्ण भारत = 0.38)	0.33	
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2012-13 चालू मूल्यों पर		₹ 7,69,729 करोड़	
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2003-04 से 2012-13)	उत्तर प्रदेश	12.45 प्रतिशत	
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	14.94 प्रतिशत	
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (2003-04 से 2012-13)	उत्तर प्रदेश	14.53 प्रतिशत	
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	16.37 प्रतिशत	
12	जनसंख्या वृद्धि (2003-04 से 2012-13)	उत्तर प्रदेश	17.94 प्रतिशत	
		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.22 प्रतिशत	
ब. वित्तीय आंकड़े				
क्र.सं.	विवरण		आंकड़े (प्रतिशत में)	
	मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर		2003-04 से 2011-12	2003-04 से 2012-13
			सामान्य श्रेणी राज्य	उत्तर प्रदेश
13	क.	राजस्व प्राप्तियों का	17.48	18.51
	ख.	स्वयं का कर राजस्व	17.44	17.51
	ग.	करेतर राजस्व	12.64	21.30
	घ.	कुल व्यय	14.15	11.78
	ड.	पूँजीगत व्यय	16.83	11.00
	च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	16.85	18.76
	छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	15.35	17.55
	ज.	वेतन एवं मजदूरी ²	14.18	16.87
	झ.	पेंशन	18.36	22.43

(स्रोत: वित्तीय आंकड़े वित्त लेखे 2012-13 पर आधारित हैं)

¹गिनी गुणांक, जनता की आय में परस्पर असमानता का मापक है। शून्य से एक के पैमाने पर, शून्य के समीप होने पर असमानता कम तथा एक के समीप होने पर असमानता अधिक होगी।

²वर्ष 2003-04 से 2011-12 अथवा 2012-13 अवधि के लिए जैसा भी प्रकरण हो।

(अ) राज्य सरकार के लेखे का रूप एवं संरचना
(ब) वित्त लेखे का प्रारूप
(संदर्भ: प्रस्तर 1.1; पृष्ठ 1)

भाग-अ: राज्य सरकार के लेखे का रूप एवं संरचना	
<p>शासकीय लेखे का ढाँचा: राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा गया है (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि तथा (iii) लोक लेखा।</p> <p>भाग-1 समेकित निधि: राज्य सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, ट्रेजरी बिलों के जरिये उगाहे गये समस्त ऋण, आन्तरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों के भुगतान हेतु प्राप्त समस्त धनराशि एक समेकित निधि का गठन करेगा जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अन्तर्गत गठित 'राज्य की समेकित निधि' नाम से जाना जाता है।</p> <p>भाग-2 आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि का गठन होता है जो एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से अति आवश्यक अनपेक्षित व्यय के पूरा करने हेतु अग्रिम लिया जाता है जो राज्यपाल के अधिकार में है। इस प्रकार के व्यय हेतु तथा बाद में इसी के बराबर की धनराशि के समेकित निधि से आहरण हेतु विधान मण्डल की संस्तुति प्राप्त की जाती है। निधि बाद में प्राप्त की जाती है जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिमों की प्रतिपूर्ति की जाती है।</p> <p>भाग-3 लोक लेखा: प्राप्तियों एवं वितरणों से सम्बन्धित कुछ लेनदेनों यथा लघु बचत, भविष्य निधि, संचित निधि, निक्षेप, उचन्त, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि के भाग नहीं होते, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखे में रखा जाता है एवं वे राज्य विधायिका के द्वारा मतदान का विषय नहीं होते हैं।</p>	
भाग-ब : वित्त लेखे का प्रारूप	
विवरण सं०	प्रारूप
<p>वित्त लेखा दो भागों में विभाजित है। भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है।</p> <p>भाग एक में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र, चार सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है।</p>	
खण्ड-1	
1	वित्तीय वर्ष के अन्त में पूंजी एवं देयताओं की प्रगामी वित्तीय स्थिति।
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों के तीन भागों का विवरण।
3	संचित निधि में प्राप्तियों का विवरण जिसमें राजस्व, पूंजीगत और उधार से प्राप्तियां सम्मिलित हैं।
4	संचित निधि से व्यय का विवरण जिसमें व्यय की प्रकृति तथा कार्य से सम्बन्धित है।
परिशिष्ट-1	नकद शेष और नकद शेष का निवेश।
खण्ड-2	
भाग-1	
5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण विस्तृत प्रगामी पूंजीगत व्यय को विवरण संख्या 1 में दिखाया गया है।
6	उधार और अन्य दायित्व जैसे कि बाजार ऋण और भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम का विवरण।

7	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये ऋण एवं अग्रिम और उनकी वसूली का विवरण।
8	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदान का विवरण।
9	वित्तीय वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गयी गारण्टी का विवरण।
10	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण। विस्तृत विवरण दत्तमत और प्रभारित व्यय।
भाग-2	
11	राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार ब्यौरेवार विवरण।
12	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण।
13	पूंजीगत व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण।
14	सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों, समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण।
15	उधार एवं अन्य दायित्वों और परिपक्वता और भुगतान का विवरण।
16	सरकार द्वारा दिए गये अग्रिमों, ऋण शेष में परिवर्तन, ऋण माफी और ऋणों पर ब्याज प्राप्ति का विस्तृत विवरण।
17	राजस्व लेखा से भिन्न व्ययों के लिए स्रोत एवं निधियों के प्रयोग का विस्तृत विवरण।
18	आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के लेन-देनों का विस्तृत विवरण।
19	उद्दिष्ट निधियों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण।
भाग-3 (परिशिष्ट)	
परिशिष्ट-2	वेतन पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट-3	सब्सिडी पर तुलनात्मक व्यय
परिशिष्ट-4	राज्य सरकार द्वारा दिया गया सहायता अनुदान (संस्थानवार और योजनावार)
परिशिष्ट-5	वाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं का विवरण
परिशिष्ट-6	आयोजनागत योजना व्यय
परिशिष्ट-7	राज्य में केन्द्रीय योजना निधियों का लागू करने वाली एजेन्सियों को सीधे हस्तान्तरण
परिशिष्ट-8	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे की शेष राशियों का सारांश
परिशिष्ट-9	सिंचाई निर्माण कार्य के वित्तीय परिणाम
परिशिष्ट-10	अपूर्ण लोकनिर्माण कार्य संविदाओं पर वचनबद्धताओं का विवरण
परिशिष्ट-11	राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप ऐसी मदों का विवरण, जिनके शेषों का विभाजन अंतिम रूप से नहीं हुआ
परिशिष्ट-12	राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण
परिशिष्ट-13	वर्ष के दौरान प्रमुख नीतिगत निर्णयों अथवा भावी रोकड़ प्रवाह हेतु बजट में प्रस्तावित नयी योजनाओं के प्रभावों का विवरण।
परिशिष्ट-14	राज्य सरकार द्वारा भविष्य में वचनबद्ध दायित्वों का विवरण

(₹ करोड़ में)

		प्राप्तियाँ		संवितरण				
2011-12		2012-13	2011-12			आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग 2012-13
भाग 'अ'								
1,30,869.70	I राजस्व प्राप्तियाँ	1,45,903.98	1,23,885.17	I राजस्व व्यय	1,14,845.73	25,877.91		1,40,723.64
52,613.43	-कर राजस्व	58,098.36	52,946.92	सामान्य सेवाएँ	59,119.18	787.54		59,906.72
			47,390.94	सामाजिक सेवाएँ	32,235.57	21,064.75		53,300.32
10,145.30	-करेतर राजस्व	12,969.98	25,975.04	-शिक्षा, खेल, कला एवंसंस्कृति	22,084.22	7,298.40		29,382.62
			5,770.08	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4,767.13	2,751.72		7,518.85
50,350.95	-संघीय करों में राज्यांश	57,497.85	1,895.04	-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	849.61	110.63		960.24
			84.51	-सूचना एवं प्रसारण	57.30	0.94		58.24
4,396.73	-आयोजनेत्तर अनुदान	4,341.00	3,382.44	-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2,060.11	2,408.27		4,468.38
6,813.28	-राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	5,518.39	441.88	-श्रम तथा श्रमिक कल्याण	328.83	773.84		1,102.67
			9,779.27	-समाज कल्याण तथा पोषण	2,023.80	7,720.87		9,744.67
6,549.89	-केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं हेतु अनुदान	7,478.40	62.68	-अन्य	64.57	0.08		64.65
00.12	-वाह्य अनुदान सहायता	0.00	18,292.21	आर्थिक सेवाएँ	17,311.74	4,025.62		21,337.36
			3,651.55	-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	3,224.39	1,374.04		4,598.43
			4,529.51	-ग्राम्य विकास	2,837.93	1,787.36		4,625.29
			60.96	-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	27.38		27.38

			4,009.32		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4,028.94	645.13	4,674.07	
			3,535.54		-ऊर्जा	4,612.66	37.58	4,650.24	
			319.72		-उद्योग एवं खनिज	236.84	131.84	368.68	
			1,943.87		-परिवहन	2,121.83	1.10	2,122.93	
			30.66		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	13.90	18.76	32.66	
			211.08		-सामान्य आर्थिक सेवाएँ	235.25	2.43	237.68	
			5,255.10		सहायक अनुदान एवं अंशदान	6,179.24	0.00	6,179.24	
1,30,869.70		योग	1,45,903.98	1,23,885.17	योग			1,40,723.64	
शून्य	II	राजस्व घाटा भाग 'ब' को प्रेषित	शून्य	6,984.53	II	राजस्व अधिशेष भाग 'ब' को प्रेषित	-	-	5,180.34
1,30,869.70		योग	1,45,903.98	1,30,869.70	योग				1,45,903.98
भाग 'ब'									
10,304.99	III	प्रारम्भिक रोकड़ शेष स्थाई अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	13,446.70	-	III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट	-	-	-
-	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	21,573.96	IV	पूंजीगत परिव्यय	1,225.78	22,608.51	23,834.29
				1,143.62		सामान्य सेवाएँ	577.06	827.89	1,404.95
				5,187.14		सामाजिक सेवाएँ	57.62	7,536.89	7,594.51
				331.16		-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	5.15	701.93	707.08
				942.39		-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	13.28	1,102.34	1,115.62
				3,551.41		-जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	37.97	4,985.14	5,023.11
				-		-सूचना एवं प्रसारण	-	-	-
				46.70		-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	00	57.97	57.97
				240.09		-समाज कल्याण तथा पोषण	00	608.74	608.74
				75.39		-अन्य	1.22	80.77	81.99
				15,243.20		आर्थिक सेवाएँ	591.10	14,243.73	14,834.83

				(-)127.38		-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	521.36	367.13	888.49
				2,755.84		-ग्राम्य विकास	0.00	1,051.70	1,051.70
				1,480.80		-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	0.00	840.31	840.31
				2,124.87		-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,896.69	1,896.69
				4,314.36		-ऊर्जा	64.38	3,561.50	3,625.88
				3.57		-उद्योग एवं खनिज	5.36	1.19	6.55
				4,651.20		-परिवहन	0.00	6,454.52	6,454.52
				39.94		-सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	70.69	70.69
				शून्य		-विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	-	-	-
133.17	V	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	418.80	975.57	V	संवितरित ऋण तथा अग्रिम -	619.49	383.75	1,003.24
00.00		-विद्युत परियोजनाओं से	-	-		-विद्युत परियोजनाओं हेतु	-	-	-
74.11		-सरकारी कर्मचारियों से	83.10	115.67		-सरकारी कर्मचारियों को	106.76	-	106.76
59.06		-अन्य से	335.70	859.90		-अन्य को	512.73	383.75	896.48
6,984.53	VI	अधोनीत राजस्व अधिशेष	5,180.34	-	VI	अधोनीत राजस्व घाटा	-	-	-
19,652.30	VII	लोक ऋण प्राप्तियाँ	15,819.95	8,287.61	VII	लोक ऋण की अदायगी			8,909.04
		-बाह्य ऋण	-			-बाह्य ऋण	-	-	-
19,336.67		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	15,493.30	6,973.02		-अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत शुद्ध लेन देन			7,513.87
-		-अर्थोपाय अग्रिम के अन्तर्गत शुद्ध लेन देन	30.69	-		-ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत शुद्ध लेन देन	-	-	-
-		-ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन देन		-		-अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओवरड्राफ्ट से भिन्न आंतरिक ऋण	-	-	-
315.63		-केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	295.96	1,314.59		-केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान			1,395.17
-	VIII	आकरिमकता निधि को विनियोग	-		-VIII	आकरिमकता निधि से विनियोग			-

39.89	IX	आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरित राशि	309.65	309.64	IX	आकस्मिकता निधि से व्यय		262.45
1,38,449.36	X	लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,43,477.51	1,30,970.76	X	लोक लेखा संवितरण		1,29,471.51
9,539.26		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ	10,096.34	5,908.99		-अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ		6,754.83
10,255.12		-आरक्षित निधियाँ	9,638.28	4,767.87		-आरक्षित निधियाँ		5,252.14
89,398.38		-उचन्त एवं विविध	99,159.77	88,790.15		-उचन्त एवं विविध		95,620.37
18,705.74		-प्रेषण	15,954.43	18,914.42		-प्रेषण		14,968.51
10,550.86		-जमा तथा अग्रिम	8,628.69	12,589.33		-जमा तथा अग्रिम		6,875.66
	- XI	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंतिम अवशेष		13,446.70	XI	अंतिम रोकड़ शेष		15,172.42
				#		-कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		#
				(-) 619.34		-रिजर्व बैंक में जमा		(-) 39.52
				13.32		-स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष		13.21
				14,052.72		-रोकड़ शेष निवेश		15,198.73
3,06,433.94		योग	3,24,556.93	3,06,433.94		योग		3,24,556.93

(#) ₹ एक लाख से कम धनराशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि(+)/ घाटा (-)	वृद्धि(+)/ घाटा (-) प्रतिशत में
1	2	3	4	5 (4-3)	6
राजस्व प्राप्तियाँ जिसमें	1,58,847.96	1,56,687.63	1,45,903.98	-10,783.65	-6.88
कर राजस्व	62,057.06	60,472.14	58,098.36	-2,373.78	-3.93
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	38,492.18	36,616	34,870.16	-1,745.84	-4.77
राज्य आबकारी	10,068.28	10,070	9,782.49	-287.51	-2.86
वाहनों पर कर	3,093.90	3,094	2,992.92	-101.08	-3.27
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	9,307.99	9,021	8,742.17	-278.83	-3.09
माल भाड़ा एवं यात्रियों पर कर	0	0	1.04	1.04	100
भू-राजस्व	299.96	676.14	804.64	128.50	19
अन्य कर	794.75	995	904.94	-90.06	-9.05
करेतर राजस्व	14,173.82	13,798.08	12,969.98	-828.10	-6
ब्याज प्राप्तियाँ	980.02	1,422.36	1,186.42	-235.94	-16.59
विविध सामान्य सेवाएँ	3,973.37	4,914.10	4,494.11	-419.99	-8.55
अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	954	600	722.12	122.12	20.35
अन्य करेतर राजस्व	8,266.43	6,861.62	6,567.33	-294.29	-4.29
केन्द्रीय कर एवं शुल्कों का अंश	59,528.34	59,528.34	57,497.85	-2,030.49	-3.41
भारत सरकार से सहायता अनुदान	23,088.74	22,889.07	17,337.79	-5,551.28	-24.25
राजस्व व्यय जिसमें	1,52,963.61	1,51,141.63	1,40,723.64	-10,417.99	-6.89
सामान्य सेवाएँ	64,768.46	62,175.69	59,906.72	-2,268.97	-3.65
प्रशासनिक सेवाएँ	13,791.88	13,307.14	11,881.13	-1,426.01	-10.72
पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएँ	18,961.47	18,962.47	17,952.25	-1,010.22	-5.33
ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा	26,793.65	24,759.62	25,182.28	422.66	1.71
राजकोषीय सेवाएँ	3,437.89	3,286.91	3,295.33	8.42	0.26
सरकार के अंग	1,783.57	1,859.55	1,595.73	-263.82	-14.19
सामाजिक सेवाएँ	58,637.63	59,081.49	53,300.32	-5,781.17	-9.79
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	32,480.14	32,002.89	29,382.62	-2,620.27	-8.19
समाज कल्याण एवं पोषण	10,630.02	10,864.43	9,744.67	-1,119.76	-10.31
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3,749.58	4,332.04	4,468.38	136.34	3.15
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	8,193.71	8,300.77	7,518.85	-781.92	-9.42

जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	1,123.47	1,134.86	960.24	-174.62	-15.39
सूचना एवं प्रसारण	145.99	145.99	58.24	-87.75	-60.11
श्रम एवं श्रमिक कल्याण	2,229.82	2,225.63	1,102.67	-1,122.96	-50.46
अन्य	84.90	74.88	64.65	-10.23	-13.66
आर्थिक सेवाएँ	23,312.85	23,639.78	21,337.36	-2,302.42	-9.74
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	4,929.27	5,277.38	4,598.44	-678.94	-12.87
ग्राम्य विकास	5,656.29	5,648.61	4,625.29	-1,023.32	-18.12
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	101.70	102.16	27.38	-74.78	-73.20
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	5,283.10	5,203.61	4,674.06	-529.55	-10.18
ऊर्जा	4,624.91	4,674.91	4,650.24	-24.67	-0.53
उद्योग एवं खनिज	393.20	419.49	368.67	-50.82	-12.11
परिवहन	1,975.35	1,974.96	2,122.93	147.97	7.49
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	33.26	33.26	32.66	-0.60	-1.8
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	315.77	305.40	237.69	-67.71	-22.17
सहायक अनुदान एवं अंशदान	6,244.67	6,244.67	6,179.24	-65.43	-1.05
पूँजीगत व्यय जिसमें	26,978.26	26,147.20	23,834.29	-2,312.91	-8.85
सामान्य सेवाएँ	1,630.69	1,914.48	1,404.95	-509.53	-26.61
सामाजिक सेवाएँ	9,310.20	8,506.21	7,594.51	-911.70	-10.72
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	885.83	921.56	707.08	-214.48	-23.27
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,412.19	1,447.69	1,115.62	-332.07	-22.94
जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	5,811.82	5,087.82	5,023.11	-64.71	-1.27
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	118.39	118.39	57.97	-60.42	-51.03
समाज कल्याण एवं पोषण	797.13	645.91	608.74	-37.17	-5.75
अन्य सामाजिक सेवाएँ	284.84	284.84	81.99	-202.85	-71.22
आर्थिक सेवाएँ	16,037.37	15,726.51	14,834.83	-891.68	-5.67
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाएँ	503.10	482.60	888.50	405.90	84.11
ग्राम्य विकास	1,402.26	1,431.76	1,051.70	-380.06	-26.54
विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	1,979.01	1,939.01	840.31	-1,098.70	-56.66
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3,242.60	2,992.53	1,896.69	-1,095.84	-36.62
ऊर्जा	3,760.25	3,061.17	3,625.88	564.71	18.45
उद्योग एवं खनिज	8.69	9.98	6.54	-3.44	-34.47
परिवहन	5,043.33	5,710.33	6,454.52	744.19	13.03
विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0	0	0
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	98.13	99.13	70.69	-28.44	-28.69
राजस्व वृद्धि (+)/कमी (-)	5,884	5,546	5,180	-366	-6.6
राजकोषीय घाटा (-)	21,570	21,210	-19,238	1,972	9.3
प्राथमिक वृद्धि (+)/कमी (-)	-4,953	-4,712	-2,317	2,395	-50.83

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भाग अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	77,831	96,421	1,11,184	1,30,869	1,45,904
(i) स्वयं के कर राजस्व	28,659 (37)	33,878(35)	41,110(37)	52,613 (40)	58,098(40)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	17,482 (61)	20,825 (62)	24,837(60)	33,107 (63)	34,870 (60)
राज्य आबकारी	4,720 (17)	5,666 (17)	6,723(16)	8,139 (15)	9,782 (17)
वाहनों पर कर	1,125 (4)	1,404 (4)	1,817(4)	2,376 (4)	2,993 (5)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	4,138 (14)	4,562 (13)	5,975(15)	7,694 (15)	8,742 (15)
भू-राजस्व	549 (2)	663 (2)	1,134(3)	491 (1)	805 (1)
माल भाड़ा तथा यात्री कर	266(1)	271 (1)	242(1)	5 (0)	1 (0)
अन्य कर	379 (1)	487 (1)	382(1)	801 (2)	905 (2)
(ii) करेतर राजस्व	6,767 (8)	13,601(14)	11,176(10)	10,145 (8)	12,970 (9)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	30,906 (40)	31,797 (33)	43,464(39)	50,351 (38)	57,498 (39)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	11,499 (15)	17,146 (18)	15,434(14)	17,760 (14)	17,338 (12)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	778	293	485	133	419
4. कुल राजस्व एवं ऋण रहित पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	78,609	96,714	1,11,669	1,31,002	1,46,323
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	16,760	22,489	21,394	19,652	15,820
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट छोड़कर)	16,339 (97)	22,206 (99)	20,317 (95)	19,336 (98)	15,493 (98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन-देन	-	-	714(3)	-	31 (0)
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	421 (3)	283 (1)	363(2)	316 (2)	296 (2)
6.समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	95,369	1,19,203	1,33,063	1,50,654	1,62,143
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	171	83	Nil	40	310
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,04,252	99,908	1,27,649	1,38,449	1,43,478
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,99,792	2,19,194	2,60,712	2,89,143	3,05,931
भाग ब. व्यय/वितरण					
10. राजस्व व्यय	75,969 (77)	89,374 (77)	1,07,676(83)	1,23,885 (84)	1,40,724 (85)
आयोजनागत	17,291 (23)	15,701(18)	21,040(20)	22,616 (18)	25,878 (18)
आयोजनेत्तर	58,678 (77)	73,673 (82)	86,636(80)	1,01,269 (82)	1,14,846 (82)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	29,769 (39)	40,641(45)	48,019(45)	52,947 (43)	59,907 (43)
सामाजिक सेवाएँ	28,546 (37)	32,064 (36)	39,567(37)	47,391 (38)	53,300 (38)
आर्थिक सेवाएँ	14,150 (19)	13,308 (15)	15,725(15)	18,292 (15)	21,338 (15)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	3,504 (5)	3,360 (4)	4,365(4)	5,255 (4)	6,179 (4)
11. पूंजीगत व्यय	22,346 (22)	25,091 (22)	20,273(16)	21,574 (15)	23,834 (14)
आयोजनागत	18,088 (81)	19,224 (77)	19,581(97)	20,735 (96)	22,608 (95)

आयोजनेतर	4,258 (19)	5,867 (23)	692(3)	839 (4)	1,226 (5)
सामान्य सेवाएँ	841 (4)	611 (2)	1,002(5)	1,144 (5)	1,405 (6)
सामाजिक सेवाएँ	2,946 (13)	4,702 (19)	4,796(24)	5,187 (24)	7,594 (32)
आर्थिक सेवाएँ	18,559 (83)	19,778 (79)	14,475(71)	15,243 (71)	14,835 (62)
12. ऋण एवं अग्रिमों का भुगतान	807 (1)	942 (1)	968(1)	976 (1)	1,003 (1)
13. कुल व्यय (10+11+12)	99,122	1,15,407	1,28,917	1,46,435	1,65,561
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	6,776	7,669	7,383	8,288	8,909
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	5,577(82)	6,469 (84)	5,369(73)	6,973 (84)	7,514 (84)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत शुद्ध लेन-देन	-	-	714(10)	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,199 (18)	1,200 (16)	1,300(17)	1,315 (16)	1,395 (16)
15. आकस्मिकता निधि से विनियोग	-	-	-	-	-
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (कुल व्यय) (13+14+15)	1,05,898	1,23,076	1,36,300	1,54,723	1,74,470
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	40	310	262
18. लोक लेखा संवितरण	1,00,027	1,01,780	1,17,473	1,30,971	1,29,472
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	2,05,925	2,24,856	2,53,813	2,86,004	3,04,204
भाग स. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+)(1-10)	(+)1,862	(+) 7,047	(+)3,508	(+)6,984	(+)5,180
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+)(4-13)	(-)20,513	(-)18,693	(-)17,248	(-) 15,433	(-)19,238
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-)9,138	(-) 6,705	(-)3,032	(+) 48	(-)2,317
भाग द. अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	11,375	11,988	14,216	15,481	16,921
24. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता, इत्यादि	15,822	18,120	30,683	39,214	43,212
25. अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट का लाम (दिनों में)					
अर्थोपाय अग्रिम का उपभोग (दिनों में)	-	-	4	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिनों में)	-	-	4	-	-
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)	4,12,151³	4,91,302⁴	5,88,467⁵	6,87,836⁶	7,69,729⁷
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्षान्त)	1,87,411	2,01,720	2,24,785	2,43,229	2,59,621
29. बकाया गारन्टीयों (वर्षान्त) ब्याज सहित	16,084	20,038	20,162	21,752	43,337
30. दी गयी गारन्टी की अधिकतम धनराशि (वर्षान्त)	27,892	29,311	29,778	29,629	50,459
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	98	126	119	183	383
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	4,598	880.85	2,735	2,453	3,393

³2008-09 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्विक आंकड़े हैं।

⁴2009-10 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम आंकड़े हैं।

⁵2010-11 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्विक आंकड़े हैं।

⁶2011-12 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का पुनरीक्षित आंकड़े हैं।

⁷2012-13 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का पुनरीक्षित आंकड़े हैं।

भाग य. राजकोषीय स्थिति के सूचक					
I. संसाधनों का संग्रहण					
स्वयं का कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.95	6.90	6.99	7.65	7.55
करेतर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.64	2.77	1.90	1.47	1.69
केन्द्रीय स्थानान्तरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	7.50	6.47	7.39	7.32	7.47
II. व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	24.05	23.49	21.91	21.29	21.51
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	127.36	119.69	115.95	111.89	113.47
राजस्व व्यय/कुल व्यय	76.64	77.44	83.52	84.60	85.00
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	32	32	34	36	37
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	33	29	23	23	22
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	23	22	16	15	14
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर कुल पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	22	21	15	14	14
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-	-	-	-	-
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)4.98	(-)3.80	(-)2.93	(-) 2.24	(-)2.50
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-)2.22	(-)1.36	(-)0.52	(+) 0.007	(-)0.30
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-	-	-		
प्राथमिक राजस्व शेष/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	(-) 2.31	(-) 1.01	(-)1.82	(-) 1.24	(-)1.53
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	45	41	38	35	34
राजकोषीय देयताएँ/राजस्व प्राप्ति	241	209	202	186	178
प्राथमिक घाटा के सापेक्ष प्रमात्रा विस्तार	(+)8,426	(+)17,733	(+)23,413	(+) 23,134	(+)10,282
ऋण मोचन (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	96	96	84	94	101
V. अन्य राजकोषीय स्थिति के संकेतक					
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	1.26	0.84	26.81	38.17	62.70
वालू राजस्व से अवशेष (₹ करोड़ में)	13,960	14,422	19,530	24,864	26,323
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.66	0.72	0.77	0.81	0.85

कोष्ठक में दिए गये अंक प्रत्येक उपशीर्षों का कुल योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करता है।
 @शासन द्वारा सूचित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) के आंकड़ों को अपनाया गया है।

(अ) स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2008-13 के लिए
(ब) करेतर राजस्व वर्ष 2008-13 के लिए
(संदर्भ: प्रस्तर 1.3.1; पृष्ठ 13)

(अ) स्वयं का कर राजस्व 2008-13 के लिए

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक व्यय
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	17,482	20,825	24,837	33,107	36,616	34,870
राज्य आबकारी	4,720	5,666	6,723	8,139	10,070	9,782
वाहनों पर कर	1,125	1,404	1,817	2,376	3,094	2,993
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	4,138	4,562	5,975	7,694	9,021	8,742
भू-राजस्व	549	663	1,134	491	676	805
माल-भाड़ा एवं यात्रियों पर कर	266	271	242	5	00	1
अन्य कर	379	487	382	801	995	905
योग (अ)	28,659	33,878	41,110	52,613	60,472	58,098

(ब) करेतर राजस्व 2008-13 के लिए

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	
					पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक व्यय
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश एवं लाभ	1,013	631	716	827	1,422	1,249
सामान्य सेवाएँ	2,120	8,482	5,807	4,907	4,914	5,069
सामाजिक सेवाएँ	1,829	2,622	3,019	2,662	5,589	4,670
आर्थिक सेवाएँ	1,805	1,866	1,634	1,749	1,873	1,982
योग (ब)	6,767	13,601	11,176	10,145	13,798	12,970
महायोग (अ+ब)	35,426	47,479	52,286	62,758	74,270	71,068

31 मार्च 2013 को राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त सार (संदर्भ: प्रस्तर 1.9.1 एवं 1.9.2; पृष्ठ 30)

(₹ करोड़ में)

31.03.2012 को	देयताएं		31.03.2013 को
1,40,388.62	आंतरिक ऋण		1,48,398.74
77,837.61	ब्याज भारित बाजार ऋण	84,100.69	
3.21	ब्याज भार रहित बाजार ऋण	2.85	
18.91	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	13.99	
62,559.58	अन्य संस्थानों से ऋण	64,281.21	
-30.69	अर्थोपाय अग्रिम	00	
-	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट	-	
17,510.87	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		16,411.66
9.96	1984-85 से पहले का ऋण	9.96	
101.29	आयोजनेतर ऋण	93.85	
17,201.43	राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	16,198.90	
0.80	केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.80	
195.96	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं के लिए ऋण	106.72	
1.43	अर्थोपाय अग्रिम	1.43	
600.00	आकस्मिकता निधि (कॉर्पस)	-	600.00
37,730.24	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	-	41,071.76
16,015.72	जमा	-	17,768.76
31,583.69	आरक्षित निधियाँ	-	35,969.82
433.57	प्रेषण शेष	-	1,419.49
2,44,262.71	योग		2,61,640.23
परिसम्पत्तियाँ			
1,78,439.34	अचल सम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	-	2,02,273.63
42,607.07	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	46,227.91	
1,35,832.27	अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,56,045.72	
309.64	आकस्मिकता निधि (असमायोजित)	-	262.45
10,987.99	ऋण एवं अग्रिम	-	11,572.44
2,681.49	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	2,462.40	
8,134.14	अन्य विकास ऋण	8,914.01	
172.36	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं विविध ऋण	196.03	
45.20	आरक्षित निधियों में निवेश	-	45.20
9.11	अग्रिम	-	9.10
(-) 4,555.23	उचन्त एवं विविध शेष	-	(-) 8,094.63
13,446.70	रोकड़		15,172.42
	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	00	
(-) 619.34	रिजर्व बैंक में जमा	(-)39.52	
12.90	विभागीय रोकड़ शेष	-	
0.42	स्थाई अग्रिम	0.42	
14,052.72	रोकड़ शेष निवेश	15,198.73	
45,579.96	सरकारी लेखों में घाटा		40,399.62
52,564.49	(i) वर्ष के प्रारम्भ में संचयी घाटा	45,579.96	
6,984.53	(ii) घटाना:वर्तमान वर्ष में राजस्व आधिक्य	5,180.34	
2,44,262.71	योग		2,61,640.23

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.7 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरणों में संक्षिप्त लेखों को वित्त लेखों में दिए गये विवरणों एवं टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाय। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधारित होते हैं, सरकारी लेखे में घाटे जैसा कि **परिशिष्ट 1.7** में प्रदर्शित है रोकड़ की स्थिति अंकित है, सम्भूति आधारित वाणिज्यिक लेखाओं से भिन्न है। फलस्वरूप, देय या प्राप्य मद का ह्रास अथवा भंडार लेखा में विचलन इत्यादि मद लेखे में अंकित नहीं है। उचन्त एवं विविध अवशेष में ऐसे निर्गत चेक जिनका भुगतान नहीं किया गया, राज्य की ओर से किए गये भुगतान एवं अन्य लंबित समाधान सम्मिलित है। "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखों में प्रदर्शित आंकड़ों के बीच ₹ 21.99 करोड़ (निवल क्रेडिट) का अन्तर था।

(₹ लाख में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	संवितरण	अंतिम शेष
2010-11				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8115- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	1,60,462.23	0.00	93,613.69	66,848.54
103- मूल्यहास आरक्षित निधि-सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	1,64,903.80	0.00	93,613.69	71,290.11
105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	-4,441.57	0.00	0.00	-4,441.57
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	126.69	0.00	0.00	126.69
102- कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि	120.50	0.00	0.00	120.50
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि- विद्युत	6.19	0.00	0.00	6.19
योग	1,60,588.92	0.00	93,613.69	66,975.23
ब्याज रहित आरक्षित निधि				
8222- सिंकिंग फण्ड	20,78,247.98	7,32,268.60	3,92,537.04	24,17,979.54
01-ऋण घटाने या उसके परिहार के लिए विनियोग	20,78,247.98	7,32,268.60	3,92,537.04	24,17,979.54
101- सिंकिंग फण्ड				
8223- अकाल राहत निधि	853.50	0.00	0.00	853.50
101- अकाल राहत निधि	931.51	0.00	0.00	931.51
102- अकाल राहत निधि निवेश लेखा	-78.01	0.00	0.00	-78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	99,841.03	0.00	0.00	99,841.03
101- राज्य सड़क एवं सेतु निधि	99,841.03	0.00	0.00	99,841.03
8226- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	4,887.77	11.00	0.00	4,898.77
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	4,887.77	11.00	0.00	4,898.77
8229- विकास एवं कल्याण निधि	38,964.26	86,860.09	84,646.89	41,177.46
101- शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	4,187.07	0.34	0.00	4,187.41
102- विकित्सा एवं जन स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए विकास निधि	1,061.04	29.69	5.84	1,084.89
103- कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00
105- चीनी विकास निधि	941.91	-267.36	-325.45	1,000.00
106-औद्योगिक विकास निधि	964.34	29,969.94	27,911.90	3,022.38
109- सहकारी विकास निधि	4.77	0.00	0.00	4.77
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	31,805.13	57,127.48	57,054.60	31,878.01
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	-12,124.15	38,544.34	53,021.37	-26,601.18
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	467.88	5.34	0.00	473.22
102- जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	0.00	0.00	707.78
103- धार्मिक एवं पूर्त न्यास निधि	33.79	0.00	0.00	33.79
105- सामान्य बीमा निधि	27.78	0.00	0.00	27.78
111- आपदा राहत निधि	15,266.86	38,539.00	53,021.37	-29,749.23
200- अन्य निधियाँ	1,905.48	0.00	0.00	1,905.48
योग	22,10,670.39	8,57,684.03	5,30,205.30	25,38,149.12
महायोग	23,71,259.31	8,57,684.03	6,23,818.99	26,05,124.35

2011-12				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8115- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	66,848.54	0.00	65,000.00	1,848.54
103- मूल्यहास आरक्षित निधि- सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	71,290.11	0.00	65,000.00	6,290.11
105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	-4,441.57	0.00	0.00	-4,441.57
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	126.69	0.00	0.00	126.69
102- कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधियाँ	120.50	0.00	0.00	120.50
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि- विद्युत	6.19	0.00	0.00	6.19
योग	66,975.23	0.00	65,000.00	1,975.23
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ				
8222- सिंकिंग फण्ड	24,17,979.54	8,62,661.20	2,99,673.79	29,80,966.95
01- ऋण घटाने या उसके परिहार के लिए विनियोजन	24,17,979.54	8,62,661.20	2,99,673.79	29,80,966.95
101- सिंकिंग फण्ड				
8223- अकाल राहत निधि	853.50	0.00	0.00	853.50
101- अकाल राहत निधि	931.51	0.00	0.00	931.51
102- अकाल राहत निधि निवेश लेखा	-78.01	0.00	0.00	-78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	99,841.03	0.00	0.00	99,841.03
101- राज्य सड़क एवं सेतु निधि	99,841.03	0.00	0.00	99,841.03
8226-- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	4,898.77	11.00	0.00	4,909.77
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	4,898.77	11.00	0.00	4,909.77
8229- विकास एवं कल्याण निधि	41,177.46	50,673.66	48,880.57	42,970.55
101- शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	4,187.41	4.73	0.00	4,192.14
102- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए विकास निधि	1,084.89	0.00	0.00	1,084.89
103 कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00
105- चीनी विकास निधि	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
106- औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	0.00	0.00	3,022.38
109- सहकारी विकास निधि	4.77	0.00	0.00	4.77
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	31,878.01	50,668.93	48,880.57	33,666.37
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	-26,601.18	1,12,166.07	63,232.97	22,331.92
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	473.22	10.48	0.00	483.70
102- जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	0.00	0.00	707.78
103- धार्मिक एवं पूर्त न्यास निधि	33.79	0.00	0.00	33.79
105- सामान्य बीमा निधि	27.78	0.00	0.00	27.78
111- आपदा राहत निधि	-29,749.23	1,10,789.94	63,232.97	17,807.74
200- अन्य निधियाँ	1,905.48	1,365.65	0.00	3,271.13
योग	25,38,149.12	10,25,511.93	4,11,787.33	31,51,873.72
महायोग	26,05,124.35	10,25,511.93	4,76,787.33	31,53,848.95

2012-13				
आरक्षित निधियाँ				
ब्याज सहित आरक्षित निधि				
8115- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	1,848.54	0.00	0.00	1,848.54
103- मूल्यहास आरक्षित निधि- सरकारी वाणिज्यिक विभाग एवं उपक्रम	6,290.11	0.00	0.00	6,290.11
105- मूल्यहास आरक्षित निधि-निवेश खाता	-4,441.57	0.00	0.00	-4,441.57
8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि	126.69	0.00	0.00	126.69
102- कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधियाँ	120.50	0.00	0.00	120.50
111- आकस्मिकता आरक्षित निधि-विद्युत	6.19	0.00	0.00	6.19
योग	1,975.23	0.00	0.00	1,975.23
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ				
8222- सिंकिंग फण्ड	29,80,966.95	8,26,168.64	3,23,691.26	34,83,444.33
01- ऋण घटाने या उसके परिहार के लिए विनियोग	29,80,966.95	8,26,168.64	3,23,691.26	34,83,444.33
101- सिंकिंग फण्ड				
8223- अकाल राहत निधि	853.50	0.00	0.00	853.50
101- अकाल राहत निधि	931.51	0.00	0.00	931.51
102- अकाल राहत निधि निवेश लेखा	-78.01	0.00	0.00	-78.01
8225- सड़कें एवं सेतु निधि	99,841.03	0.00	94,096.38	5,744.65
101- राज्य सड़क एवं सेतु निधि	99,841.03	0.00	94,096.38	5,744.65
8226- मूल्यहास/नवीकरण आरक्षित निधि	4,909.77	11.00	0.00	4,920.77
102- सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्यहास आरक्षित निधि	4,909.77	11.00	0.00	4,920.77
8229- विकास एवं कल्याण निधि	42,970.55	71,319.89	60,385.18	53,905.26
101- शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि	4,192.14	133.93	0.00	4,326.07
102- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए विकास निधि	1,084.89	3.95	0.00	1,088.84
103- कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि	0.00	0.00	0.00	0.00
105- चीनी विकास निधि	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
106- औद्योगिक विकास निधि	3,022.38	0.00	0.00	3,022.38
109- सहकारी विकास निधि	4.77	0.00	0.00	4.77
200- अन्य विकास एवं कल्याण निधि	33,666.37	71,182.01	60,385.18	44,463.20
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ	22,331.92	66,328.45	47,041.57	41,618.80
101- सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की सामान्य आरक्षित निधियाँ	483.70	4.80	0.00	488.50
102- जमींदारी उन्मूलन निधि	707.78	0.00	0.00	707.78
103- धार्मिक एवं पूर्त न्यास निधि	33.79	0.00	0.00	33.79
105- सामान्य बीमा निधि	27.78	0.00	0.00	27.78
111- आपदा राहत निधि	17,807.74	62,458.00	47,041.57	33,224.17
200- अन्य निधियाँ	3,271.13	3,865.65	0.00	7,136.78
योग	31,51,873.72	9,63,827.98	5,25,214.39	35,90,487.31
महायोग	31,53,848.95	9,63,827.98	5,25,214.39	35,92,462.54

बचत के अन्तर्गत अनुदानों एवं विनियोगों के प्रकरण (संदर्भ: प्रस्तर 2.2; पृष्ठ 45)

(₹ हजार में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	कुल अनुदान / विनियोग	व्यय	बचत
राजस्व					
	1	आबकारी विभाग			
1		दत्तमत	1,26,78,31	1,17,16,44	9,61,87
2		भारित	20,00	6,39	13,61
	2	आवास विभाग			
3		दत्तमत	1,38,49,04	1,14,98,21	23,50,83
	3	उद्योग विभाग (लघु एवं निर्यात प्रोत्साहन)			
4		दत्तमत	1,19,89,28	1,10,08,83	9,80,45
5		भारित	6,00	..	6,00
	4	उद्योग विभाग (खाने एवं खनिज)			
6		दत्तमत	22,87,69	19,33,32	3,54,37
	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)			
7		दत्तमत	1,04,53,39	64,32,76	40,20,63
	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)			
8		दत्तमत	69,85,34	18,05,97	51,79,37
	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)			
9		दत्तमत	1,34,03,07	1,21,77,90	12,25,17
	9	उर्जा विभाग			
10		दत्तमत	55,29,32,12	55,28,88,28	43,84
11		भारित	39,46,50	32,88,71	6,57,79
	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)			
12		दत्तमत	1,96,60,89	1,68,82,26	27,78,63
13		भारित	1,10,62	1,02,37	8,25
	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)			
14		दत्तमत	26,90,05,45	20,45,13,40	6,44,92,05
15		भारित	15,20	7,37	7,83
	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)			
16		दत्तमत	3,06,00,01	2,17,45,70	88,54,31
	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)			
17		दत्तमत	14,28,23,11	13,24,43,84	1,03,79,27
18		भारित	15,50	9,72	5,78
	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)			
19		दत्तमत	38,73,89,04	29,66,35,59	9,07,53,45
	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)			
20		दत्तमत	5,07,05,66	4,83,99,22	23,06,44
	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)			
21		दत्तमत	84,50,43	72,11,05	12,39,38
22		भारित	10	-	10

	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)			
23		दत्तमत	80,11,07	46,93,66	33,17,41
	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)			
24		दत्तमत	11,53,56,48	11,32,51,71	21,04,77
25		भारित	5,24,24	5,23,68	56
	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)			
26		दत्तमत	8,85,13	4,65,04	4,20,09
	20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)			
27		दत्तमत	1,88,47	1,88,18	29
28		भारित	30,88,00	30,87,99	1
	21	खाद्य एवं रसद विभाग			
29		दत्तमत	72,58,34	61,50,53	11,07,81
	22	खेल विभाग			
30		दत्तमत	48,64,91	45,75,14	2,89,77
	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)			
31		दत्तमत	1,41,34,50	1,16,80,57	24,53,93
32		भारित	1,50	46	1,04
	24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)			
33		दत्तमत	49,02,34	45,12,33	3,90,01
	25	गृह विभाग (कारागार)			
34		दत्तमत	3,85,96,00	3,85,81,02	14,98
35		भारित	10,00	11	9,89
	26	गृह विभाग (पुलिस)			
36		दत्तमत	96,91,40,09	88,97,99,73	7,93,40,36
37		भारित	75,00	54,69	20,31
	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)			
38		दत्तमत	4,76,51,68	4,06,08,78	70,42,90
	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)			
39		दत्तमत	1,41,32,14	1,13,41,52	27,90,62
	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)			
40		भारित	9,89,76	9,20,08	69,68
	30	गोपन विभाग (राजस्व विशेष गुप्तचर निदेशालय एवं अन्य व्यय)			
41		दत्तमत	3,60,14	3,56,63	3,51
	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)			
42		दत्तमत	11,69,98,87	10,83,90,11	86,08,76
	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)			
43		दत्तमत	32,12,19,24	28,08,40,11	4,03,79,13
44		भारित	20,00	..	20,00
	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)			
45		दत्तमत	4,82,92,27	4,33,76,68	49,15,59
	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)			
46		दत्तमत	2,12,75,53	2,07,73,17	5,02,36
	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)			
47		दत्तमत	25,56,88,98	23,35,64,22	2,21,24,76
48		भारित	16,00	1,24	14,76
	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)			

49		दत्तमत	4,39,69,47	3,94,21,00	45,48,47
50		भारित	2,00	17	1,83
	37	नगर विकास विभाग			
51		दत्तमत	11,50,50,81	9,11,99,73	2,38,51,08
	38	नागरिक उड्डयन विभाग			
52		दत्तमत	32,67,86	26,90,41	5,77,45
	39	भाषा विभाग			
53		दत्तमत	11,21,72	10,81,54	40,18
	40	नियोजन विभाग			
54		दत्तमत	1,78,95,99	1,12,51,78	66,44,21
	41	निर्वाचन विभाग			
55		दत्तमत	2,36,93,04	2,00,15,44	36,77,60
	42	न्याय विभाग			
56		दत्तमत	11,62,79,07	9,84,26,72	1,78,52,35
57		भारित	2,07,64,49	1,76,32,52	31,31,97
	43	परिवहन विभाग			
58		दत्तमत	1,15,70,34	97,12,93	18,57,41
	44	पर्यटन विभाग			
59		दत्तमत	23,76,56	18,23,73	5,52,83
	45	पर्यावरण विभाग			
60		दत्तमत	3,96,50	3,36,64	59,86
	46	प्रशासनिक सुधार विभाग			
61		दत्तमत	9,82,14	6,68,57	3,13,57
	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग			
62		दत्तमत	2,36,19,21	1,70,10,71	66,08,50
63		भारित	1,02	..	1,02
	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
64		दत्तमत	16,49,01,99	15,44,75,62	1,04,26,37
65		भारित	2,05	1,70	35
	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग			
66		दत्तमत	43,76,43,62	40,03,46,44	3,72,97,18
67		भारित	1,00	..	1,00
	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)			
68		दत्तमत	6,50,14,07	4,94,66,63	1,55,47,44
69		भारित	17,00	12,64	4,36
	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)			
70		दत्तमत	21,40,50,93	17,87,49,08	3,53,01,85
	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग			
71		दत्तमत	1,21,90	66,33	55,57
	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)			
72		दत्तमत	15,07,60,23	8,26,15,37	6,81,44,86
73		भारित	4,00	2,56	1,44
	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)			
74		भारित	5,00	1,19	3,81
	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)			
75		दत्तमत	1,22,71,52	1,21,73,32	98,20

	60	वन विभाग			
76		दत्तमत	4,19,98,91	4,18,32,54	1,66,37
77		भारित	13,70	-	13,70
	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)			
78		दत्तमत	69,59,78,28	68,94,33,00	65,45,28
79		भारित	2,65,01,79,10	2,48,56,65,74	16,45,13,36
	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)			
80		दत्तमत	1,42,08,55,76	1,35,30,79,95	6,77,75,81
	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)			
81		दत्तमत	2,02,62,01	1,40,47,49	62,14,52
	65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)			
82		दत्तमत	1,71,07,52	1,57,74,71	13,32,81
	66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)			
83		दत्तमत	22,89,19	22,81,65	7,54
84		भारित	1,64,06,13	1,64,06,12	1
	67	विधान परिषद सचिवालय			
85		दत्तमत	29,65,32	24,72,14	4,93,18
86		भारित	78,79	47,84	30,95
	68	विधान सभा सचिवालय			
87		दत्तमत	82,58,93	72,14,97	10,43,96
88		भारित	1,08,89	72,81	36,08
	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग			
89		दत्तमत	2,36,77,13	1,98,43,08	38,34,05
	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग			
90		दत्तमत	68,05,97	67,91,66	14,31
	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)			
91		दत्तमत	2,40,80,46,77	2,22,14,66,27	18,65,80,50
	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)			
92		दत्तमत	85,31,31,10	72,54,54,47	12,76,76,63
93		भारित	2,70	50	2,20
	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)			
94		दत्तमत	22,87,87,76	14,71,78,74	8,16,09,02
95		भारित	1,00	-	1,00
	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)			
96		दत्तमत	85,61,28	74,62,60	10,98,68
	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)			
97		दत्तमत	10,23,95,40	2,08,80,20	8,15,15,20
98		भारित	10	-	10
	77	श्रम विभाग (सेवायोजन)			
99		दत्तमत	7,71,36,91	5,68,90,12	2,02,46,79
	78	सचिवालय प्रशासन विभाग			
100		दत्तमत	4,76,80,26	4,06,72,42	70,07,84
	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)			
101		दत्तमत	19,12,01,19	18,49,69,19	62,32,00
	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)			
102		दत्तमत	34,41,79,46	33,91,25,48	50,53,98

	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)			
103		दत्तमत	59,84,57	46,51,64	13,32,93
104		भारित	10	-	10
	82	सतर्कता विभाग			
105		दत्तमत	33,86,96	28,48,10	5,38,86
106		भारित	3,60,37	3,52,33	8,04
	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)			
107		दत्तमत	71,74,37,26	54,12,26,80	17,62,10,46
	84	सामान्य प्रशासन विभाग			
108		दत्तमत	64,80,76	2,93,48	61,87,28
	85	सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग			
109		दत्तमत	4,47,85	3,84,55	63,30
	86	सूचना विभाग			
110		दत्तमत	1,44,94,18	56,83,62	88,10,56
	87	सैनिक कल्याण विभाग			
111		दत्तमत	42,94,06	34,29,91	8,64,15
	88	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)			
112		दत्तमत	5,27,84	4,88,59	39,25
	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)			
113		दत्तमत	4,67,61,09	4,31,77,93	35,83,16
	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजी कर)			
114		दत्तमत	70,43,45	69,82,45	61,00
	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)			
115		दत्तमत	2,43,33,02	2,38,99,94	4,33,08
116		भारित	4	-	4
	92	संस्कृति विभाग			
117		दत्तमत	39,93,58	36,03,17	3,90,41
118		भारित	5	-	5
	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)			
119		दत्तमत	21,81,42,80	19,82,63,73	1,98,79,07
	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)			
120		दत्तमत	27,14,52,21	22,31,11,72	4,83,40,49
121		भारित	50,00	27,67	22,33
		योग दत्तमत	12,75,32,54,76	11,27,68,90,20	1,47,63,64,56
		योग भारित	2,69,72,15,62	2,52,86,06,27	16,86,09,35
		योग राजस्व	15,45,04,70,38	13,80,54,96,47	1,64,49,73,91
		पूँजीगत			
	1	आबकारी विभाग			
1		दत्तमत	2,89,19	1,18,20	1,70,99
	2	आवास विभाग			
2		दत्तमत	4,78,76,24	4,76,33,38	2,42,86
	3	उद्योग विभाग (लघु एवं निर्यात प्रोत्साहन)			
3		दत्तमत	3,49,15	3,35,35	13,80
	4	उद्योग विभाग (खाने एवं खनिज)			
4		दत्तमत	7,00,00	5,36,16	1,63,84

	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)			
5		दत्तमत	1,55,01,07	1,54,94,61	6,46
	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)			
6		दत्तमत	5,00,00	1,76,50	3,23,50
	9	ऊर्जा विभाग			
7		दत्तमत	31,92,52,00	31,63,58,78	28,93,22
	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)			
8		दत्तमत	8,20,00	7,28,25	91,75
	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)			
9		दत्तमत	7,17,01,56	5,39,29,00	1,77,72,56
	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)			
10		दत्तमत	25,85,71,28	23,82,49,12	2,03,22,16
	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)			
11		दत्तमत	6,25,78,97	3,02,50,75	3,23,28,22
	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)			
12		दत्तमत	17,40,60	7,05,53	10,35,07
	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)			
13		दत्तमत	20,00,00	..	20,00,00
	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)			
14		दत्तमत	22,52,58	6,94,58	15,58,00
15		भारित	10,32,82	9,66,57	66,25
	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)			
16		दत्तमत	9,00,00	..	9,00,00
	21	खाद्य एवं रसद विभाग			
17		दत्तमत	96,44,12,57	86,04,63,45	10,39,49,12
18		भारित	9,17,68,60	9,16,07,77	1,60,83
	22	खेल विभाग			
19		दत्तमत	89,90,09	89,90,06	3
	25	गृह विभाग (कारागार)			
20		दत्तमत	1,30,10,31	1,29,10,59	99,72
	26	गृह विभाग (पुलिस)			
21		दत्तमत	7,14,11,75	3,50,87,44	3,63,24,31
	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)			
22		दत्तमत	13,37,46	5,46,65	7,90,81
	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)			
23		दत्तमत	30,00	..	30,00
	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)			
24		दत्तमत	7,11,45,58	6,90,96,18	20,49,40
	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)			
25		दत्तमत	5,83,68,94	3,53,00,82	2,30,68,12
	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)			
26		दत्तमत	35,38,71	28,08,33	7,30,38
	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)			
27		दत्तमत	30,31,74	29,39,78	91,96
	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)			

28		दत्तमत	26,53,00	-	26,53,00
	37	नगर विकास विभाग			
29		दत्तमत	33,88,11,39	26,50,11,98	7,37,99,41
	38	नागरिक उड्डयन विभाग			
30		दत्तमत	55,00,00	23,97,82	31,02,18
	40	नियोजन विभाग			
31		दत्तमत	19,59,49,99	14,99,79,88	4,59,70,11
	42	न्याय विभाग			
32		दत्तमत	4,14,22,30	3,92,99,18	21,23,12
33		भारित	62,79,51	10,91,76	51,87,75
	43	परिवहन विभाग			
34		दत्तमत	12,91,74	11,47,85	1,43,89
	44	पर्यटन विभाग			
35		दत्तमत	99,13,12	71,24,21	27,88,91
	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग			
36		दत्तमत	2,66,95,88	1,34,65,34	1,32,30,54
	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
37		दत्तमत	6,96,06,74	5,31,33,57	1,64,73,17
	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग			
38		दत्तमत	28,00,00	25,15,31	2,84,69
	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)			
39		दत्तमत	1,24,76,79	1,08,16,29	16,60,50
	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)			
40		दत्तमत	20,00,00	8,39	19,91,61
	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)			
41		दत्तमत	7,92,94	5,24,06	2,68,88
42		भारित	10,51	-	10,51
	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग			
43		दत्तमत	1,00	-	1,00
	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)			
44		भारित	1,05,00	1,04,94	6
	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम)			
45		दत्तमत	2,70,00,00	2,51,39,53	18,60,47
	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)			
46		भारित	6,55,00	1,85,42	4,69,58
	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)			
47		दत्तमत	1,01,52,52	1,01,45,61	6,91
	60	वन विभाग			
48		दत्तमत	1,46,03,94	1,40,50,31	5,53,63
	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)			
49		दत्तमत	3,31,40,05	1,08,76,43	2,22,63,62
50		भारित	1,80,44,06,40	81,09,90,44	99,34,15,96
	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन)			
51		दत्तमत	1,50,00,00	56,68,33	93,31,67
	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)			

52		दत्तमत	16,99,34	13,90,03	3,09,31
	65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)			
53		दत्तमत	8,00	-	8,00
	67	विधान परिषद सचिवालय			
54		दत्तमत	14,00	10,00	4,00
	68	विधान सभा सचिवालय			
55		दत्तमत	76,27	63,94	12,33
	69	व्यवसायिक शिक्षा विभाग			
56		दत्तमत	90,35,79	32,16,05	58,19,74
	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग			
57		दत्तमत	1,02,00,00	-	1,02,00,00
	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)			
58		दत्तमत	38,71,50	35,34,25	3,37,25
	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)			
59		दत्तमत	2,15,93,53	92,17,51	1,23,76,02
	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)			
60		दत्तमत	10,04	-	10,04
	77	श्रम विभाग (रोजगार)			
61		दत्तमत	26,25	25,25	1,00
	78	सचिवालय प्रशासन विभाग			
62		दत्तमत	8,45,00	-	8,45,00
	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)			
63		दत्तमत	1,71,89,90	73,58,29	98,31,61
	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)			
64		दत्तमत	22,66,63	12,46,67	10,19,96
	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)			
65		दत्तमत	34,77,89,80	28,89,06,16	5,88,83,64
	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)			
66		दत्तमत	9,71,74	9,49,17	22,57
	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)			
67		दत्तमत	1,53,00	1,29,79	23,21
	92	संस्कृति विभाग			
68		दत्तमत	36,36,60	35,50,81	85,79
	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)			
69		दत्तमत	30,33,62,05	22,27,85,52	8,05,76,53
70		भारित	15,00,00	9,15,91	5,84,09
		योग दत्तमत	3,56,10,68,58	2,93,52,38,99	62,58,29,59
		योग भारित	1,90,97,09,40	90,98,14,37	99,98,95,03
		योग पूँजीगत	5,47,07,77,98	3,84,50,53,36	1,62,57,24,62
		महायोग (राजस्व एवं पूँजीगत)	20,92,12,48,36	17,65,05,49,83	3,27,06,98,53

अनुदानों / विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक में बचत ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी
(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.1; पृष्ठ 46)

(₹ करोड़ में) (₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विभाग का नाम	कुल प्रावधान	बचत	प्रतिशत
राजस्व – दत्तमत					
1	2	आवास विभाग	138.49	23.51	17
2	6	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	104.53	40.21	38
3	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	69.85	51.79	74
4	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	134.03	12.25	9
5	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	196.61	27.79	14
6	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,690.05	644.92	24
7	12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	306.00	88.54	29
8	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,428.23	103.79	7
9	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	3,873.89	907.53	23
10	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	507.06	23.06	5
11	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	84.50	12.39	15
12	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	80.11	33.17	41
13	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	1,153.56	21.05	2
14	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	8.85	4.20	47
15	21	खाद्य एवं रसद विभाग	72.58	11.08	15
16	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	141.35	24.54	17
17	26	गृह विभाग (पुलिस)	9,691.40	793.40	8
18	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	476.52	70.43	15
19	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	141.32	27.91	20
20	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,169.99	86.09	7
21	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	3,212.19	403.79	13
22	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2,556.89	221.25	9
23	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	439.69	45.48	10
24	37	नगर विकास विभाग	1,150.51	238.51	21
25	40	नियोजन विभाग	178.96	66.44	37
26	41	निर्वाचन विभाग	236.93	36.78	16
27	42	न्याय विभाग	1,162.79	178.52	15
28	43	परिवहन विभाग	115.70	18.57	16
29	44	पर्यटन विभाग	23.77	5.53	23
30	46	प्रशासनिक सुधार विभाग	9.82	3.14	32

31	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	236.19	66.09	28
32	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	1,649.02	104.26	6
33	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4,376.44	372.97	9
34	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	650.14	155.47	24
35	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2,140.51	353.02	16
36	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	1.22	0.56	46
37	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	1,507.60	681.45	45
38	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	6,959.78	65.45	1
39	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	14,208.56	677.76	5
40	63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	202.62	62.15	31
41	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	171.08	13.33	8
42	68	विधान सभा सचिवालय	82.59	10.44	13
43	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	236.77	38.34	16
44	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	24,080.47	1,865.81	8
45	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,531.31	1,276.77	15
46	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2,287.88	816.09	36
47	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	85.61	10.99	13
48	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	1,023.95	815.15	80
49	77	श्रम विभाग (रोजगार)	771.37	202.47	26
50	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	476.80	70.08	15
51	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	1,912.01	62.32	3
52	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	3,441.79	50.54	1
53	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	59.85	13.33	22
54	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	7,174.37	1,762.10	25
55	84	सामान्य प्रशासन विभाग	64.81	61.87	95
56	86	सूचना विभाग	144.94	88.11	61
57	87	सैनिक कल्याण विभाग	42.94	8.64	20
58	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	467.61	35.83	8
59	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2,181.43	198.79	9
60	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2,714.52	483.40	18
निवल योग			1,19,440.35	14,649.24	-
राजस्व –भारित					
1	1	आबकारी विभाग	0.20	0.14	70
2	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	0.15	0.08	53
3	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.16	0.06	38
4	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	0.01	0.01	100
5	25	गृह विभाग (कारागार)	0.10	0.10	100
6	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.75	0.20	27
7	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.20	0.20	100
8	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	0.16	0.15	94

9	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	0.02	100
10	42	न्याय विभाग	207.64	31.32	15
11	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	0.01	0.01	100
12	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.01	0.01	100
13	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	0.17	0.04	24
14	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	0.04	0.01	25
15	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	0.05	0.04	80
16	60	वन विभाग	0.14	0.14	100
17	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	26,501.79	1,645.13	6
18	67	विधान परिषद सचिवालय	0.79	0.31	39
19	68	विधान सभा सचिवालय	1.09	0.36	33
20	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.03	0.02	67
21	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	0.01	0.01	100
22	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	0.50	0.22	44
निवल योग			26,714.02	1,678.58	-
पूँजीगत - दत्तमत					
1	1	आबकारी विभाग	2.89	1.71	59
2	4	उद्योग विभाग (खानें एवं खनिज)	7.00	1.64	23
3	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	5.00	3.24	65
4	9	ऊर्जा विभाग	3,192.52	28.93	1
5	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	717.02	177.73	25
6	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2,585.71	203.22	8
7	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	625.79	323.28	52
8	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	17.41	10.35	59
9	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	20.00	20.00	100
10	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	22.53	15.58	69
11	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	9.00	9.00	100
12	21	खाद्य एवं रसद विभाग	9,644.13	1,039.49	11
13	26	गृह विभाग (पुलिस)	714.12	363.24	51
14	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	13.37	7.91	59
15	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	0.30	0.30	100
16	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	711.46	20.49	3
17	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	583.69	230.68	40
18	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	35.39	7.30	21
19	36	चिकित्सा विभाग (लोक स्वास्थ्य)	26.53	26.53	100
20	37	नगर विकास विभाग	3,388.11	737.99	22
21	38	नागरिक उड्डयन विभाग	55.00	31.02	56
22	40	नियोजन विभाग	1,959.50	459.70	23
23	42	न्याय विभाग	414.22	21.23	5
24	44	पर्यटन विभाग	99.13	27.89	28
25	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	266.96	132.31	50
26	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	696.07	164.73	24
27	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	124.77	16.61	13

28	51	राजस्व विभाग (द्वैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	20.00	19.92	99
29	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	7.93	2.69	34
30	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.01	0.01	100
31	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम)	270.00	18.60	7
32	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	331.40	222.64	67
33	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	150.00	93.32	62
34	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	0.08	0.08	100
35	67	विधान परिषद सचिवालय	0.14	0.04	29
36	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	90.36	58.20	64
37	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	102.00	102.00	100
38	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	215.94	123.76	57
39	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	0.10	0.10	100
40	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	8.45	8.45	100
41	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	171.90	98.32	57
42	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	22.67	10.20	45
43	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	3,477.90	588.84	17
44	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,033.62	805.77	27
निवल योग			33,840.12	6,235.04	-
पूंजीगत –भारित					
1	42	न्याय विभाग	62.80	51.88	83
2	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.11	0.11	100
3	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	6.55	4.70	72
4	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	18,044.06	9,934.16	55
5	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	15.00	5.84	39
निवल योग			18,128.52	9,996.69	-
महायोग			1,98,123.01	32,559.55	-

अनुदानों / विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक के अन्तर्गत व्यय ₹ 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था
(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.3; पृष्ठ 50)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान / विभाग का नाम	कुल अनुदान	कुल व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता
राजस्व –दत्तमत					
1	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	638.93	1,107.85	73.00
2	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	16.00	20.02	25.00
3	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	1,798.08	1,964.20	9.00
योग			2,453.01	3,092.07	-
राजस्व –भारित					
1	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	0.19	0.48	153.00
2	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	16.51	54.77	232.00
योग			16.70	55.25	-
पूंजीगत –दत्तमत					
1	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	40.92	112.89	176.00
2	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	1,189.10	1,289.83	8.47
3	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	3,444.10	5,596.47	62.00
योग			4,674.12	6,999.19	-
महायोग			7,143.83	10,146.51	-

प्रकरण, जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(संदर्भ: प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान	मूल प्रावधान के विरुद्ध बचत
राजस्व – दत्तमत						
1	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	186.61	168.82	10.00	17.79
2	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,688.55	2,045.13	1.50	643.42
3	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,420.93	1,324.44	7.30	96.49
4	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	501.23	483.99	5.83	17.24
5	26	गृह विभाग (पुलिस)	9,663.33	8,898.00	28.07	765.33
6	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	124.92	113.42	16.40	11.50
7	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	1,168.49	1,083.90	1.50	84.59
8	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	3,207.14	2,808.40	5.05	398.74
9	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2,476.89	2,335.64	80.00	141.25
10	37	नगर विकास विभाग	1,126.51	912.00	24.00	214.51
11	41	निर्वाचन विभाग	218.59	200.15	18.34	18.44
12	42	न्याय विभाग	1,146.36	984.27	16.43	162.09
13	44	पर्यटन विभाग	22.27	18.24	1.50	4.03
14	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	4,307.44	4,003.46	69.00	303.98
15	65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	164.95	157.75	6.12	7.20
16	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	23,680.47	22,214.66	400.00	1,465.81
17	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	8,228.70	7,254.54	302.62	974.16
18	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	451.30	406.72	25.50	44.58
19	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	54.79	46.52	5.06	8.27
20	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	6,626.97	5,412.27	547.40	1,214.70
21	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2,514.47	2,231.12	200.05	283.35
योग			69,980.91	63,103.44	1,771.67	6,877.47

राजस्व –भारित						
1	42	न्याय विभाग	196.06	176.33	11.58	19.73
योग			196.06	176.33	11.58	19.73
पूंजीगत–दत्तमत						
1	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	716.02	539.29	1.00	176.73
2	21	खाद्य एवं रसद विभाग	8,796.21	8,604.63	847.92	191.58
3	40	नियोजन विभाग	1,549.50	1,499.80	410.00	49.70
4	44	पर्यटन विभाग	98.13	71.24	1.00	26.89
5	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	238.24	134.65	28.72	103.59
6	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	214.19	92.18	1.75	122.01
7	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,018.62	2,227.86	15.00	790.76
योग			14,630.91	13,169.65	1,305.39	1,461.26
पूंजीगत–भारित						
1	42	न्याय विभाग	15.80	10.92	47.00	4.88
योग			15.80	10.92	47.00	4.88
महायोग			84,823.68	76,460.34	3,135.64	8,363.34

अनुदानों / विनियोगों का विवरण, जहाँ प्रत्येक में ₹ दो करोड़ से अधिक के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.6; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान सं०	अनुदान / विनियोग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक अनुदान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	आधिक्य
पूँजीगत-दत्तमत							
1	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	3,134.10	310.00	3,444.10	5,596.47	2,152.37
योग			3,134.10	310.00	3,444.10	5,596.47	2,152.37

(₹ लाख में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोग	आधिक्य	बचत
1.	01	आबकारी विभाग	2039-001-05	30.00	00	13.12
2.	03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2852-001-03	80.00	00	0.44
3.	07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	6885-190-03	98.82	00	100.00
4.	08	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	2058-001-03	5.91	0.22	00
5.			2058-103-03	12.30	00	29.48
6.			2058-103-04	0.73	00	11.68
7.	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-001-05	280.00	00	1.78
8.			2401-109-03	200.00	00	13.76
9.			2401-109-06	5.44	00	5.44
10.			2402-101-05	100.83	00	0.76
11.			2402-103-07	235.75	00	0.09
12.			2415-120-09	100.00	0.24	00
13.	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2702-005-03	189.38	35.36	00
14.			2702-005-06	38.77	00	0.15
15.			2515-102-06	628.78	00	96.29
16.	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-03	30.40	15.77	00
17.			2070-800-05	8.20	00	2.28
18.			2070-800-06	111.40	00	4.96
19.	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-001-03	111.85	00	6.18
20.			2403-104-01	25.00	25	00
21.			2403-113-01	180.00	0.02	00
22.	21	खाद्य तथा रसद विभाग	4059-051-06	365.08	00	365.08
23.	25	गृह विभाग (कारागार)	2056-101-03	143.57	00	3.95
24.			2056-800-04	2.90	00	0.13
25.	26	गृह विभाग (पुलिस)	2055-001-03	11.29	00	80.83
26.			2055-003-04	34.35	00	5,816.16
27.			2055-101-03	34.20	00	2,232.08
28.			2055-101-04	404.33	00	2,035.87

29.			2055-104-03	1,420.39	00	5,337.82
30.			2055-104-06	89.70	00	426.71
31.			2055-108-03	15.17	00	298.97
32.			2055-109-03	3,280.66	00	38,566.98
33.			2055-109-05	1,257.47	00	1,371.72
34.			2055-111-03	133.14	00	682.20
35.			2055-114-03	2.00	00	226.92
36.			2055-116-03	40.87	00	384.57
37.			2055-800-03	1.13	00	358.01
38.			2070-105-03	26.28	00	8,094.93
39.			2055-109-04	1,196.63	00	150.15
40.			2055-109-07	195.42	00	127.39
41.			2055-800-04	1,100.00	00	624.15
42.			2235-200-03	220.00	23.11	00
43.			4055-207-04	900.00	00	5,918.19
44.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	2070-106-03	4.98	00	14.60
45.			2070-107-03	28.91	00	4,964.98
46.			2070-107-04	24.85	00	212.88
47.			2070-107-09	234.57	00	176.25
48.			2070-800-03	3.31	31.23	00
49.			2235-200-03	6.72	00	0.25
50.			4070-800-06	0.47	00	106.93
51.	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	3055-190-03	36.08	00	0.28
52.	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	2012-103-03	0.20	00	4.44
53.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	2210-110-15	629.55	00	749.91
54.			2210-105-05	60.00	00	38.22
55.			4210-105-51	120.12	00	124.29
56.			4210-105-21	1,400.00	00	0.02
57.			4210-105-53	5,308.98	00	100.12
58.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	4210-110-64	5,476.36	00	8,690.66
59.			4210-110-78	1,155.41	00	0.91
60.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	2210-02-103-03	22.69	00	25.53
61.			2210-05-103-03	54.92	00	29.98
62.	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2211-200-01	600.00	00	126.03
63.			2211-102-01	1,200.00	00	97.54
64.			2211-800-01	1,469.21	00	328.61

65.	37	नगर विकास विभाग	2053-094-04	118.47	00	3.92		
66.			2015-800-04	250.50	00	192.33		
67.			2217-800-01	60.21	00	0.01		
68.			4215-191-03	2,127.00	00	106.68		
69.			4215-192-03	1,315.17	00	42.54		
70.			4070-800-03	19,000.00	00	123.40		
71.			4217-192-03	254.52	5,078.02	00		
72.			40	नियोजन विभाग	2575-800-04	102.00	00	1,195.48
73.	2575-105-03	58.00			5.00	00		
74.	4215-101-03	2,000.00			00	2,204.75		
75.	4575-800-04	7,514.48			00	34,029.31		
76.	4575-800-11	62.48			00	62.48		
77.	5054-101-03	500.00			00	3,164.05		
78.	4215-106-03	2,000.00			00	0.01		
79.	4575-337-03	117.54			28.68	00		
80.	4575-800-09	47.81			50.25	00		
81.	4575-800-10	35.07			62.48	00		
82.	4702-800-03	100.00			00	4.86		
83.	4801-800-03	600.00			00	70.32		
84.	5054-337-03	39,162.71			00	292.46		
85.	41	निर्वाचन विभाग			2015-103-05	23.46	0.30	00
86.					2015-105-03	32.49	00	0.01
87.					2015-106-04	8.99	00	0.04
88.			2015-106-06	6.18	17.62	00		
89.	42	न्याय विभाग	2014-105-03	215.00	00	2,073.78		
90.			2014-114-03	35.00	00	52.11		
91.			2014-800-10	95.00	00	2,428.78		
92.			2235-200-04	2.72	00	328.61		
93.			2014-110-03	20.00	00	15.89		
94.			2014-800-03	74.64	00	21.39		
95.			2014-800-12	615.00	00	519.48		
96.			2071-800-03	150.00	00	85.36		
97.			4059-051-01	1,700.00	00	166.80		
98.			4059-051-05	150.00	00	0.02		
99.			4216-700-03	100.00	00	10.98		
100.	43	परिवहन विभाग	4059-051-03	62.32	00	106.19		
101.	44	पर्यटन विभाग	3452-800-03	80.00	00	0.09		
102.			3452-800-16	2.32	2.32	00		

103.			3452-800-01	55.00	2.32	00
104.	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-105-18	120.40	00	3.34
105.			2203-105-19	36.00	00	1.85
106.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2235-102-01	1,800.00	00	26,306.55
107.	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	2053-101-03	24.57	00	13.53
108.	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2029-800-05	1,080.00	00	448.39
109.	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	2059-001-04	1,101.00	00	995.80
110.	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	4059-051-21	400.00	257.75	00
111.			4059-051-23	136.97	00	106.58
112.	57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	5054-101-34	10,000.00	2,400.37	00
113.	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	5054-337-03	2,100.00	7,003.27	00
114.			5054-337-13	4,932.93	59.86	00
115.			5054-337-14	2,300.00	14,426.51	00
116.			5054-337-57	13,873.00	11,521.52	00
117.			5054-337-75	500.00	437.07	00
118.			5054-337-84	10,500.00	00	547.38
119.			5054-800-04	3,000.00	2,190.69	00
120.	59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	2013-800-03	24.56	00	14.84
121.			2052-090-03	190.26	00	28.65
122.			2052-090-04	28.00	00	1.16
123.			2070-115-03	15.00	00	1.14
124.			2216-700-09	43.00	00	0.01
125.			4059-051-04	364.80	00	0.01
126.	60	वन विभाग	2406-02-110-01	38.26	15.74	00
127.			4406-02-110-01	19.76	37.81	00
128.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	2049-101-05	19.23	00	2.25
129.	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2230-003-14	42.70	00	3.58
130.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	2202-001-03	3.70	00	404.35
131.			2202-101-03	3.23	00	298.97
132.			2202-109-08	1,260.00	00	931.92
133.			4202-202-08	60.00	00	60.00

134.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	2202-102-01	49.63	00	0.01
135.			2202-103-03	275.00	00	583.01
136.			2202-104-03	4,520.00	00	4,526.84
137.			2202-800-03	176.43	11.34	00
138.	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	2202-003-03	30.50	0.04	00
139.			2202-003-07	74.57	0.25	00
140.			2202-003-09	29.60	7.83	00
141.			2202-003-15	19.01	00	0.63
142.			2202-003-20	44.07	00	5.63
143.			2202-800-01	35.11	00	4.94
144.			2202-800-05	12.00	12.89	00
145.	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-001-03	4.51	7.36	00
146.			2230-004-03	0.06	0.46	00
147.			2230-103-03	7.02	0.45	00
148.			2230-103-04	2.39	00	40.48
149.			2230-800-03	0.05	00	0.81
150.			2210-102-05	98.80	00	5.06
151.			2230-102-03	4.70	00	2.36
152.	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2052-090-03	210.50	743.20	00
153.			2251-090-03	15.00	4.62	00
154.			3451-090-03	15.00	00	121.84
155.			2220-800-03	37.04	00	1.94
156.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	2235-101-22	15.54	00	15.54
157.			2225-277-03	4,054.00	92.56	00
158.			2235-101-07	350.00	133.72	00
159.			2235-101-25	3.86	2.74	00
160.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	2225-277-04	30.00	00	152.48
161.			2235-105-04	5.79	00	61.09
162.			2225-277-03	84.76	00	55.04
163.			2225-277-13	100.00	113.07	00
164.			2225-793-03	600.00	00	214.36
165.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	2209-789-06	87.23	00	2,476.90
166.			2225-789-12	4,000.00	00	426.49
167.			2230-789-04	230.00	00	481.76
168.			2225-789-01	31,451.12	00	11,655.04
169.			2403-789-01	228.11	00	5.38
170.			4406-789-03	1,718.98	00	0.01
171.			5054-789-10	43,008.40	00	1,425.57

172.	86	सूचना विभाग	2220-106-03	67.46	0.32	00
173.	90	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन एवं बाजीकर)	2045-101-03	19.08	00	0.33
174.	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	2030-001-03	1.84	00	0.02
175.	92	संस्कृति विभाग	2205-103-01	15.96	0.01	00
176.			4202-106-04	197.60	00	4.77
177.	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	4700-051-11	43.00	00	0.40
178.			4700-04-051-10	686.23	00	0.01
179.			4700-26-051-10	1,500.00	00	0.04
180.			4700-27-051-10	1,050.00	00	797.14
181.			4700-052-07	500.00	00	13.60
182.			4700-051-10	555.55	1,197.56	00
183.			4701-051-10	8.49	00	3.28
184.			4701-005-10	130.10	00	15.47
185.			4702-101-04	1,000.00	00	9.46
186.			4711-103-06	96.40	3,135.45	00
योग				2,61,557.40	49,161.17	1,89,761.80
				अथवा	अथवा	अथवा
				2,615.57 करोड़	491.61 करोड़	1,897.62 करोड़

वर्ष 2012-13 में अत्यधिक धनराशियों का समर्पण

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.8; पृष्ठ 52)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	योजना का नाम (लेखाशीर्ष)	प्रावधान	अभ्यर्पित धनराशि	अभ्यर्पित धनराशि (प्रतिशत में)	अभ्यर्पण का कारण
1	1	आबकारी विभाग	4059-051-03 आबकारी विभाग में कार्यालय और गोदाम के निर्माण हेतु एकमुश्त प्रावधान	289.19	170.75	59	प्रस्ताव आदि के अनुमोदन न होने के कारण
2	2	आवास विभाग	2217-800-06 स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थानों, पार्कों एवं उद्यानों के रख-रखाव एवं स्वच्छता	100.00	100.00	100	कॉर्पस निधि पर अर्जित ब्याज के उपयोग के कारण
3	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	2851-102-06 जिला उद्योग केन्द्र	4.00	3.60	90	वास्तविक आधार पर भुगतान के कारण
4	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	2852-800-06 न्यायालय में सूट्स का अनुसरण	50.00	45.55	91	कम व्यय के कारण
5			2852-800-08 पी.पी.पी. परियोजना तथा सार्वजनिक क्षेत्र एवं सहकारी इकाईयों में विनिवेश एवं निजीकरण	655.00	655.00	100	परिपक्व प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
6	8	उद्योग विभाग (मुद्रण एवं लेखन सामग्री)	4058-103-03 शासकीय मुद्रणालयों के लिए मशीनरी तथा उपकरण एवं संयंत्रों का क्रय	500.00	323.50	65	प्राप्त निविदा में मशीनों का दर अधिक होने के कारण
7	10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	2401-119-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	2,763.35	1,873.25	68	कारण नहीं बताया गया
8	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2401-103-06 मक्का के संकर बीज के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन योजना	3,301.01	2,684.12	81	लक्ष्य में कटौती के कारण
9			2401-103-07 ग्रीष्म मूंगफली के उत्पादन हेतु प्रोत्साहन योजना	250.00	149.03	60	कार्य योजना को विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण
10			2401-108-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	134.80	90.71	67	प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण

11			2401-109-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	1,700.00	875.47	52	कार्य योजना में कटौती के कारण
12			2401-109-07 कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि विस्तार / कृषि निवेश एवं तकनीकी प्रबंधन	3,050.00	1,877.84	62	किसान सेवा रथ का संचालन न होने के कारण
13			2401-109-08 कृषि विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	819.28	819.28	100	कार्य योजना के अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
14			2401-110-04 भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि0 को फसल बीमा के किस्तों का भुगतान	5,500.00	5,052.51	92	प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण
15			2401-111-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	948.92	480.36	51	पद रिक्त रहने के कारण
16			2401-111-05 फसल उत्पादन के बैंक आँकड़े एवं सांख्यिकी का उत्पादन	2,226.76	2,226.76	100	कार्य योजना के अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
17			2401-112-04 दलहन / तिलहन उत्पादन में वृद्धि हेतु अंतर्फल कृषि योजनाएँ	2,500.00	2,375.67	95	कार्य योजना में कटौती के कारण
18			2401-800-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	118.44	118.44	100	भारत सरकार से धनराशि की अवमुक्ति न होने के कारण
19			2402-102-03 बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई एवं वर्षा जल संचयन योजना	1,859.43	1,859.43	100	दरों का अनुमोदन न होने के कारण
20			2402-103-06 मृदा के सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने तथा भूमि सुधार हेतु जिप्सम का वितरण	1,748.00	972.35	56	जिप्सम उपलब्ध न होने के कारण
21			2415-120-23 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम	255.33	150.12	59	वांछनीय प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
22			2415-120-26 उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि अनुसंधान सुविधाओं का सुदृढीकरण	170.69	170.69	100	वांछनीय प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
23			4401-800-03 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	4,000.00	3,412.76	85	एसएलएससी द्वारा अनुमोदन के कारण

24			4415-277-09 फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना	6.89	6.89	100	प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
25	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	2515-102-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	198.00	132.00	67	कारण नहीं बताया गया
26			2702-005-04 भूमि जल संसाधनों को मानचित्रित करना एवं गहरे भूमि जल संसाधनों का पैरामीटर परीक्षण	60.00	51.11	85	कारण नहीं बताया गया
27			2702-005-05 जी.आई.एस. आधारित मानचित्र	70.00	54.43	78	कारण नहीं बताया गया
28			2702-005-06 वर्षा जल संचयन / रिचार्जिंग	70.00	58.79	84	कारण नहीं बताया गया
29			2702-800-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	148.45	127.97	86	निधि का उपयोग न किये जाने के कारण
30	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	2070-800-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	8,825.99	6,417.13	73	कारण नहीं बताया गया
31			2204-104-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	1,623.20	1,089.08	67	कारण नहीं बताया गया
32			2575-800-03 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम	6,337.05	5,116.05	81	कारण नहीं बताया गया
33			4070-800-04 अपूर्ण ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण	40.00	40.00	100	कारण नहीं बताये गये
34			4575-192-03 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम	5,622.96	3,082.72	55	कारण नहीं बताया गया
35			4575-196-03 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम	9,152.15	5,925.63	65	कारण नहीं बताया गया
36			4575-197-03 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम	4,576.08	2,727.25	60	कारण नहीं बताया गया
37			4575-198-03 पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम	32,032.53	18,028.95	56	कारण नहीं बताये गये

38	15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	2403-103-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	700.00	474.00	68	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
39			4403-106-04 राज्य पशुधन एवं कृषि फॉर्म	23.50	12.68	54	प्रशासनिक स्वीकृति की प्राप्ति न होने के कारण
40			4403-107-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	750.00	699.30	93	केंद्रांश की कम प्राप्ति होने के कारण
41	16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	2404-191-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	1,000.00	809.76	81	भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
42	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	2405-109-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	28.00	28.00	100	भारत सरकार से निधि की प्राप्ति न होने के कारण
43	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	2425-800-04 एकीकृत विकास परियोजनाएँ (एन.सी. डी.सी. से वित्तपोषित)	812.64	546.00	67	एनसीडीसी द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन न होने के कारण
44			4425-200-05 एकीकृत सहकारी विकास योजना के अंतर्गत सहकारी साझा पूँजी में निवेश	1,271.36	940.00	74	एनसीडीसी द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन न होने के कारण
45			6425-800-04 एकीकृत सहकारी विकास योजना के अंतर्गत ऋण (एन.सी. डी.सी. से वित्तपोषित)	981.22	618.00	63	आईसीडीपी द्वारा परियोजनाओं का अनुमोदन न होने के कारण
46	19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय)	2070-003-11 उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ	734.13	376.61	51	प्रशिक्षणार्थी की कम संख्या होने के कारण
47			4070-003-03 उ०प्र० प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ	900.00	900.00	100	अनुमोदन की अवमुक्ति न होने के कारण
48	22	खेल विभाग	2204-104-10 विशिष्ट खिलाड़ियों को राजकीय पुरस्कार	6.00	6.00	100	लक्ष्मण एवं रानी लक्ष्मी बाई पुरस्कार नहीं दिये जाने के कारण
49	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	3055-190-04 मीसा एवं डीआरआई के आपात अवधि में राजनीतिक कैदियों को बस से मुफ्त यात्रा सुविधा देने के लिए यू.पी.एस.आर.टी.सी. को भुगतान	400.00	383.62	96	कारण नहीं बताया गया

50	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	2211-001-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	10.00	10.00	100	पद रिक्त रहने के कारण
51	37	नगर विकास विभाग	2070-800-04 उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड	400.00	379.72	95	बोर्ड में सदस्य/कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण
52			2217-800-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	5.00	5.00	100	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
53			2217-800-08 राजीव आवास योजना (आर.ए.वाई.)	733.00	677.51	92	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
54			2217-800-06 आई.आर.एम.ए. (इरमा)	27.00	27.00	100	नये आई.आर.एम.ए. पर नियुक्ति न होने के कारण
55			2230-101-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	7,705.76	6,611.96	86	द्वितीय किश्त की प्राप्ति न होने के कारण
56			4217-800-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	1,100.00	1,100.00	100	संयुक्त वित्त विकास निधि का गठन न होने के कारण
57			4217-051-04 शहरी गरीब हेतु जे.एन.एन.यू. आर.एम. आधारभूत सेवाओं में सहायता (केंद्रीय 50/राज्य 50)	26,420.00	23,296.93	88	ए.सी.ए. की किश्तों की प्राप्ति न होने के कारण
58			4217-800-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	525.00	525.00	100	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
59	38	नागरिक उड्डयन विभाग	5053-800-03 हेलीकॉप्टर/वायुयान का क्रय	3,500.00	3,500.00	100	नये हवाई जहाज के क्रय न होने के कारण
60	39	भाषा विभाग	2202-104-07 संस्कृत विद्वानों को पुरस्कृत करने के लिए संस्कृत संस्थान,उ०प्र० को अनुदान	16.00	16.00	100	चयन प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण
61	40	नियोजन विभाग	3451-092-07 राज्य नियोजन संस्था द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था (मूल्यांकन अनुभाग)	50.00	39.76	80	वास्तविक व्यय के कारण
62			3454-001-04 राज्य रणनीति सांख्यिकी योजना	490.00	490.00	100	कारण नहीं बताया गया

63			3454-001-06 जिला योजना की संरचना (जिला नियोजन योजना)	18.00	9.17	51	सलाहकार उपलब्ध न होने के कारण
64			3454-800-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	203.25	164.71	81	कारण नहीं बताया गया
65			4059-051-05 पुराने हैदराबाद, लखनऊ में कालाकांकर भवन के निकट कार्यालय भवन का निर्माण	500.00	500.00	100	कारण नहीं बताया गया
66	41	निर्वाचन विभाग	2015-106-05 राज्य विधान सभा उप चुनाव	210.50	112.95	54	कम संख्या में उप चुनाव निष्पादित होने के कारण
67			2015-105-04 उप चुनाव	162.00	116.39	72	उप चुनाव के कारण
68	43	परिवहन विभाग	3055-190-03 संसद सदस्यों को अपनी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देने के कारण राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति भुगतान	29.00	18.96	65	आवश्यकता न होने के कारण
69	44	पर्यटन विभाग	3452-104-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	30.00	30.00	100	कारण नहीं बताया गया
70			3452-800-07 'डिस्कवर योर रूट्स' योजना	7.00	7.00	100	कारण नहीं बताया गया
71			3452-800-97 वाह्य सहायतित योजनाएँ	50.00	50.00	100	कारण नहीं बताया गया
72			5452-800-04 कुशीनगर जनपद में पर्यटन विकास हेतु सार्वजनिक सहभागिता से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना	500.00	384.00	77	कारण नहीं बताया गया
73			5452-104-16 सैफई, इटावा में पर्यटन कॉम्प्लेक्स का निर्माण	325.00	200.32	62	कारण नहीं बताया गया
74			5452-104-17 सिद्धार्थनगर जनपद में बुद्ध संग्रहालय का निर्माण	50.00	50.00	100	कारण नहीं बताया गया
75			5452-800-18 आगरा में ताजगंज से ताजगंज वार्ड तक मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण / उन्नयन	50.00	50.00	100	कारण नहीं बताया गया
76	45	पर्यावरण विभाग	3435-003-04 पर्यावरण अनुसंधान एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन	5.00	5.00	100	वास्तविक व्यय के कारण

77			3435-001-05 पर्यावरण निदेशालय में प्रयोगशाला की स्थापना	5.55	5.55	100	स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण
78			3435-103-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	40.00	20.00	50	केन्द्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
79	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	2203-103-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	1,662.00	1,364.93	82	भारत सरकार द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण
80			2203-104-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	487.00	358.98	74	भारत सरकार द्वारा वित्तीय अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण
81			2203-104-03 प्रेम डिग्री कॉलेज, बहुव्यावसायिक संस्थान, मथुरा	128.47	84.07	65	पद रिक्त रहने के कारण
82			2203-104-04 मुरलीधर गजानंद बहुव्यावसायिक संस्थान, हाथरस	142.15	93.27	66	पद रिक्त रहने के कारण
83			2203-104-05 हंडिया बहुव्यावसायिक संस्थान, हंडिया	106.06	76.38	72	पद रिक्त रहने के कारण
84			2203-104-06 चंदौली बहुव्यावसायिक संस्थान, चंदौली	97.42	63.86	66	पद रिक्त रहने के कारण
85			2203-104-07 एम.पी. पॉलीटेक्निक, गोरखपुर	127.92	83.92	66	पद रिक्त रहने के कारण
86			2203-105-04 राजकीय पॉलीटेक्निक में दूसरी पाली में प्रशिक्षण	824.27	478.22	58	वास्तविक व्यय के कारण
87			2203-105-11 सहारनपुर के कुम्हारखेड़ा में राजकीय महिला पॉलीटेक्निक की स्थापना	14.10	10.11	72	आवश्यकता शून्य होने के कारण
88			2203-112-17 राज्य में संचालित निजी क्षेत्र में मेडिकल, इंजीनियरिंग संस्थानों में परास्नातक, स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों तथा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवेश परीक्षा एवं फीस निर्धारण हेतु	35.95	26.90	75	वास्तविक व्यय के कारण

89			2203-112-19 वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना	100.00	100.00	100	वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना हेतु कार्यवाही न करने के कारण
90			2203-112-20 अपीलीय प्राधिकरण	32.61	21.07	65	कारण नहीं बताया गया
91			2203-112-21 इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना	130.01	130.01	100	पद रिक्त रहने के कारण
92			2203-112-97 विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त प्राविधिक शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	2,000.01	1,137.68	57	भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त की प्राप्ति न होने के कारण
93			4202-104-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	19,127.87	10,167.21	53	भारत सरकार द्वारा धनराशि की प्राप्ति न होने के कारण
94			4202-104-47 राजकीय पॉलीटेक्निक का उन्नयन एवं सुदृढीकरण तथा अन्य स्थापित सुविधाओं का विकास (जिला योजना)	400.00	400.00	100	वित्तीय स्वीकृति न होने के कारण
95			4202-104-59 राजकीय पॉलीटेक्निक में वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना	100.00	100.00	100	वित्तीय स्वीकृति न होने के कारण
96			4202-105-11 प्रमण्डल स्तर पर इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना	2,000.00	2,000.00	100	धनराशि का अनुमोदन न होने के कारण
97	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2235-800-01 केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	500.00	338.10	68	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
98	51	राजस्व विभाग (दैवीय आपदा के सम्बन्ध में राहत)	2052-090-03 दैवीय आपदा संबंधी स्थापना	80.06	52.48	66	वास्तविक व्यय के कारण
99			2245-800-06 उ०प्र० आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	550.00	530.00	96	प्रबंधन अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण
100			2245-800-07 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	150.00	107.86	72	डीडीएमए का गठन न होने के कारण
101			2245-800-08 विपदा जोखिम कमी कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी. द्वारा सहायता प्राप्त)	150.00	144.80	97	वास्तविक व्यय के कारण
102			4250-101-05 स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड से व्यय	500.00	500.00	100	जिला से माँग की प्राप्ति न होने के कारण
103			4250-101-06 डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन फंड से व्यय	500.00	500.00	100	जिला से माँग की प्राप्ति न होने के कारण

104			4250-101-08 राज्य में विस्थापितों के पुनर्वास के लिए भूमि की खरीद	1,000.00	991.60	99	जिला से माँग की प्राप्ति न होने के कारण
105	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2235-110-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	4,000.00	3,010.08	75	माँग न होने के कारण
106			2235-110-03 राज्य के खाता धारक / सहखाता धारक किसानों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान	29,078.00	22,089.00	76	बीमा कम्पनी से सम्पर्क न होने के कारण.
107			2029-001-03 भूमि अधिग्रहण –सामान्य राजस्व व्यय	5.00	5.00	100	वास्तविक व्यय के कारण
108			2029-101-03 भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर एवं अन्य प्रकीर्ण शासकीय देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार	10.50	7.86	75	समायोजन के बाद बचत
109			2049-101-03 प्रतिकर बंधपत्र एवं स्टॉक प्रमाण-पत्र पर ब्याज	0.10	0.10	100	जिला से माँग की प्राप्ति न होने के कारण
110			4059-800-12 इलाहाबाद एवं लखनऊ, राजस्व परिषद में गेस्ट हाउस (अतिथि गृह) का निर्माण	40.00	40.00	100	राजस्व परिषद द्वारा गेस्ट हाउस निर्माण न किए जाने के कारण
111			4059-800-13 राजस्व परिषद इलाहाबाद में ट्यूबेल की रिबोरिंग (पुनः बोरिंग)	12.97	9.08	70	धनराशि का उपयोग न किये जाने के कारण
112			6003-106-03 ब्याज भारित बंधपत्र	5.51	5.51	100	जिला से माँग की प्राप्ति न होने के कारण
113			6003-106-04 ब्याज रहित बंधपत्र	5.00	5.00	100	जिला से माँग की प्राप्ति न होने के कारण
114			53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	2070-800-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	15.00	9.99
115	2070-800-14 राज्य एकीकरण परिषद के अध्यक्ष को सुविधाएँ	12.95			12.95	100	अध्यक्ष की नियुक्ति न होने के कारण
116	55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	2059-800-03 निर्माण - राज्य विधान मण्डल	10.00	10.00	100	प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
117			4059-051-04 अम्बेडकर नगर में सर्किट हाउस का निर्माण	100.00	100.00	100	प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण

118	58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	5054-800-03 अन्य व्यय	550.00	358.87	65	कारण नहीं बताया गया
119	60	वन विभाग	2406-001-04 स्थापना	13.70	10.32	75	वास्तविक व्यय के कारण
120			4406-111-04 चिड़िया घर की स्थापना (सी.सी.एल. प्रणाली)	942.74	504.93	54	वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण
121	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	2070-105-03 राज्य आयोग एवं समितियों	130.52	66.97	51	मितव्ययिता साधनों के कारण
122	68	विधान सभा सचिवालय	7610-201-03 राज्य विधान सभा के सदस्यों / पूर्व-सदस्यों को गृह निर्माण अग्रिम	6.00	6.00	100	माँग की प्राप्ति न होने के कारण
123			7610-202-03 राज्य विधान सभा के सदस्यों / पूर्व-सदस्यों को वाहन क्रय हेतु अग्रिम	6.00	6.00	100	माँग की प्राप्ति न होने के कारण
124	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	2230-003-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	107.80	107.80	100	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
125			2230-101-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	96.32	67.00	70	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
126			2230-101-04 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नये व्यावसायिक प्रशिक्षण	75.46	50.48	67	वास्तविक व्यय के कारण
127			2230-101-05 बुंदेलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	504.82	369.93	73	वास्तविक व्यय के कारण
128			2230-101-97 वाह्य सहायतित योजनाएँ	176.65	176.65	100	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
129			2230-800-04 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ई-कनेक्टिविटी	153.40	153.40	100	उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति न होने के कारण
130			2230-800-05 कन्या विद्या धन योजना	200.00	200.00	100	अनुमोदन न होने के कारण
131			2230-800-06 बीपीएल परिवारों की 10वीं पास लड़कियों के आगे की शिक्षा के लिए	100.00	100.00	100	अनुमोदन न होने के कारण
132			4250-203-06 बुंदेलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	450.00	450.00	100	वांछनीय प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण

133			4250-203-07 कारीगर प्रशिक्षण योजना (जिला योजना)	3,108.14	2,977.91	96	वांछनीय प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
134			4250-203-13 प्रशिक्षण तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण निदेशालय भवन का सुदृढीकरण एवं पुनरोद्धार	300.00	300.00	100	वांछनीय प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
135			4250-203-97 वाह्य सहायतित योजनाएँ	200.00	200.00	100	वांछनीय प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
136	70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	4810-102-03 नए एवं नवीकरण ऊर्जा प्रशिक्षण केन्द्र, कन्नौज	200.00	200.00	100	शून्य व्यय के कारण
137			4810-102-04 सौर ऊर्जा संसाधनों से विद्युत उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजना	10,000.00	10,000.00	100	पूर्व बोली में विलम्ब होने के कारण
138	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	2202-053-04 प्राथमिक एवं जू0हा0 स्कूलों के भवनों के रख-रखाव हेतु एकमुश्त प्रावधान	500.00	490.40	98	कारण नहीं बताया गया
139			2202-102-24 सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त पुस्तक वितरण	1,970.00	1,794.37	91	कारण नहीं बताया गया
140			2202-62-31 मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा	500.04	500.04	100	कारण नहीं बताया गया
141	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	4202-201-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	10.03	10.03	100	कारण नहीं बताया गया
142	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	2230-101-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	29.90	29.90	100	केंद्रीय सहायता की प्राप्ति न होने के कारण
143			2230-101-05 औद्योगिक प्रबंधन का सुदृढीकरण एवं विकेंद्रीकरण समितियों, सभाओं एवं आयोगों का संयोजन	34.15	24.72	72	पद रिक्त रहने के कारण
144			2230-103-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजनाएँ	712.00	445.20	63	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
145			2230-111-03 उ0प्र0 भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से व्यय	40,000.00	40,000.00	100	निधि की आवश्यकता न होने के कारण

146			2230-797-03 उ०प्र० भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण	40,000.00	40,000.00	100	आरक्षित निधि की आवश्यकता न होने के कारण
147	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	2013-101-04 भारत सरकार को दिये जाने वाले आयकर की बकाया धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी	25.00	14.97	60	वास्तविक व्यय के कारण
148			2052-090-04 सचिवालय प्रलेखीकरण केंद्र एवं पुस्तकालय के विकास तथा विस्तार	20.00	19.93	99	वास्तविक व्यय के कारण
149			2052-090-08 खुफिया स्रोतों का विकास	12.00	12.00	100	कारण नहीं बताए गये
150			2251-090-04 कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	23.35	20.48	88	मितव्ययिता साधनों के कारण
151			4059-800-04 सचिवालय में सी.सी. टी.वी. / निगरानी कैमरा एवं सहायक उपकरणों की स्थापना	845.00	845.00	100	आवश्यक औपचारिकताओं के पूरा न करने के कारण
152	84	सामान्य प्रशासन विभाग	2070-800-04 उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद	11.53	10.61	92	वेतन का भुगतान न किये जाने के कारण
153			2070-800-05 जनगणना कार्य 2011	6,251.00	6,022.38	96	प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण
154	86	सूचना विभाग	2220-110-03 स्थापना	1,470.60	788.85	54	मितव्ययिता साधनों के कारण
155			2220-800-07 फिल्म विकास निधि की स्थापना	50.00	50.00	100	निधि की आवश्यकता न होने के कारण
156	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	2040-800-05 व्यवस्थापन आयोग की स्थापना	29.37	29.37	100	पदों की भर्ती न होने के कारण
157	92	संस्कृति विभाग	4202-800-03 प्रेक्षागृह/खुले मंच का निर्माण	50.00	28.48	57	वास्तविक आवश्यकता के कारण
158	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	2701-101-03 अन्य रख-रखाव व्यय	221.33	121.94	55	कारण नहीं बताया गया
159			4700-051-07 बांध	100.00	60.00	60	माँग शून्य होने के कारण
160			4700-05-050-10 नहरें	100.00	71.66	72	माँग शून्य होने के कारण
161			4700-07-050-10 नहरें	200.00	200.00	100	माँग शून्य होने के कारण

162			4700-07-051-12 वितरण प्रणाली	50.00	50.00	100	पुनरीक्षित परियोजना के अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
163			4700-08-050-10 नहरें	200.00	200.00	100	माँग शून्य होने के कारण
164			4700-08-051-10 नहरें	1,756.02	1,756.02	100	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
165			4700-08-051-11 शाखाएँ	691.45	512.74	74	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
166			4700-11-050-10 नहरें	300.00	300.00	100	माँग शून्य होने के कारण
167			4700-13-051-07 बैराज	100.00	64.84	65	माँग शून्य होने के कारण
168			4700-14-050-10 नहरें	10.00	10.00	100	माँग शून्य होने के कारण
169			4700-14-051-10 नहरें	396.00	300.32	76	माँग शून्य होने के कारण
170			4700-15-051-05 बांध एवं संबंधित कार्य	764.30	406.71	53	माँग शून्य होने के कारण
171			4700-16-051-10 नहरें	151.00	151.00	100	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
172			4700-19-051-07 बैराज	100.00	58.00	58	माँग शून्य होने के कारण
173			4700-20-051-10 नहरें	10,000.00	9,000.00	90	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
174			4700-21-051-10 अर्जुन सहायक परियोजना (वाणिज्यिक) नहरें	15,000.00	12,500.00	83	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
175			4700-29-051-10 नहरें	625.00	625.00	100	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
176			4700-30-051-10 नहरें	295.00	295.00	100	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
177			4701-41-051-10 नहरें	1648.00	1623.00	98	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
178			4701-55-050-10 नहरें	500.00	421.41	84	माँग शून्य होने के कारण
179			4701-55-051-10 नहरें	137.03	90.83	66	माँग शून्य होने एवं अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
180			4701-69-051-10 नहरें	386.30	211.25	55	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण

181			4701-78-051-10 नहरें	5308.97	4981.73	94	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
182			4701-82-051-10 नहरें	1,050.01	1,050.01	100	माँग शून्य होने के कारण
183			4701-84-050-10 नहरें	500.01	258.68	52	माँग शून्य होने के कारण
184			4701-85-051-09 भवन	1,000.00	505.39	51	माँग शून्य होने के कारण
185			4701-92-051-10 नहरें	500.00	500.00	100	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
186			4711-103-01 केंद्रीय योजना / केंद्रीय पुरोनिधानित योजनाएँ	35,000.00	31,072.60	89	केंद्रांश की प्राप्ति न होने के कारण
187			4711-103-07 अप्रत्याशित आपात कार्य	1,100.00	1,100.00	100	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
188			4711-103-08 बैराजों का निर्माण	200.00	145.42	73	पर्याप्त समय के अभाव में
189			4702-101-04 प्रस्यावतन योजनाएँ	750.03	585.36	78	अनुमोदन की प्राप्ति न होने के कारण
190	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	2701-001-08 उ०प्र० जल प्रबंधन एवं नियामक आयोग	554.22	511.69	92	उ०प्र० सरकार द्वारा आयोग को निरस्त करने के कारण
योग				4,06,282.53	3,35,891.70		
				अथवा 4,062.83 करोड़	अथवा 3,358.92 करोड़		

2.8

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण (₹ 50 लाख या अधिक)

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.9; पृष्ठ 52)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं०	अनुदान / विभाग का नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित धनराशि	अधिक अभ्यर्पित धनराशि
राजस्व—दत्तमत						
1	11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	2,690.05	644.92	647.63	2.71
2	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	1,428.23	103.79	111.92	8.13
3	14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	3,873.89	907.53	921.66	14.13
4	52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	2,140.51	353.02	353.77	0.75
5	68	विधान सभा सचिवालय	82.59	10.44	13.06	2.62
6	77	श्रम विभाग (रोजगार)	771.37	202.47	203.11	0.64
7	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	476.80	70.08	76.43	6.35
8	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	467.61	35.83	37.10	1.27
9	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	243.33	4.33	12.55	8.22
निवल योग			12,174.38	2,332.41	2,377.23	44.82
पूँजीगत—दत्तमत						
10	38	नागरिक उड्डयन विभाग	55.00	31.02	35.00	3.98
11	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	696.07	164.73	165.89	1.16
12	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	3,033.62	805.77	1,298.64	492.87
निवल योग			3,784.69	1,001.52	1,499.53	498.01
महायोग			15,959.07	3,333.93	3,876.76	542.83

2.9

अनुदानों / विनियोगों का विवरण, जिनमें बचतें हुईं परन्तु उसका कोई भाग अभ्यर्पित नहीं किया गया
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 53)

I- अनुदान				
क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत (₹ करोड़ में)	
			राजस्व	पूँजीगत
1.	9	ऊर्जा विभाग	0.44	28.93
2.	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	0.00	15.58
3.	25	गृह विभाग (कारागार)	0.15	0.99
4.	26	गृह विभाग (पुलिस)	793.40	363.24
5.	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	70.43	7.91
6.	30	गोपन विभाग (राजस्व विशेष गुप्तचर निदेशालय एवं अन्य व्यय)	0.04	0.00
7.	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	86.09	20.49
8.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	403.79	230.68
9.	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	49.16	7.30
10.	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	5.02	0.92
11.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	45.48	26.53
12.	42	न्याय विभाग	178.52	21.23
13.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	372.97	2.85
14.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	65.45	222.64
15.	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	677.76	93.32
16.	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	0.00	0.08
17.	66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	0.08	0.00
18.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1,276.77	0.00
19.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	816.09	123.76
20.	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	62.32	98.32
21.	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	50.54	0.00
22.	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	13.33	10.20
23.	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,762.10	588.84
24.	87	सैनिक कल्याण विभाग	8.64	0.00
योग			6,738.57	1,863.81

II – विनियोग			राजस्व	पूंजीगत
25.	9.	उर्जा विभाग	6.58	0.00
26.	13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	0.06	0.00
27.	25	गृह विभाग (कारागार)	0.10	0.00
28.	26	गृह विभाग (पुलिस)	0.20	0.00
29.	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	0.20	0.00
30.	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	0.02	0.00
31.	42	न्याय विभाग	31.32	51.88
32.	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	0.01	0.00
33.	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	1,645.13	9,934.16
34.	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	0.02	0.00
35.	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	0.01	0.00
योग			1,683.65	9,986.04
महायोग			8,422.22	11,849.85
राजस्व और पूंजीगत का योग			20,272.07	

अभ्यर्पित न की गयी ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक की बचतों का विवरण (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.10; पृष्ठ 53)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत, जिन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया
राजस्व – दत्तमत					
1	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	51.79	12.00	39.79
2	17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	33.17	17.92	15.25
3	23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	24.54	22.73	1.81
4	26	गृह विभाग (पुलिस)	793.40	0.00	793.40
5	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	70.43	0.00	70.43
6	28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	27.91	15.91	12.00
7	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	86.09	0.00	86.09
8	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	403.79	0.00	403.79
9	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	49.16	0.00	49.16
10	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	5.02	0.00	5.02
11	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	221.25	205.05	16.20
12	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	45.48	0.00	45.48
13	37	नगर विकास विभाग	238.51	235.59	2.92
14	40	नियोजन विभाग	66.44	43.19	23.25
15	41	निर्वाचन विभाग	36.78	28.24	8.54
16	42	न्याय विभाग	178.52	0.00	178.52
17	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	66.09	59.02	7.07
18	48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	104.26	87.08	17.18
19	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	372.97	0.00	372.97
20	54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	681.45	22.91	658.54
21	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	65.45	0.00	65.45
22	62	वित्त विभाग (अधिर्वर्ष भत्ते एवं पेंशन)	677.76	0.00	677.76
23	65	वित्त विभाग (लेखापरीक्षा, अल्प बचत आदि)	13.33	0.76	12.57
24	71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	1,865.81	1,841.23	24.58
25	72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	1,276.77	0.00	1,276.77
26	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	816.09	0.00	816.09
27	75	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	10.99	8.79	2.20
28	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	62.32	0.00	62.32
29	80	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	50.54	0.00	50.54
30	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	13.33	0.00	13.33
31	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	1,762.10	0.00	1,762.10
32	84	सामान्य प्रशासन विभाग	61.87	60.70	1.17

33	86	सूचना विभाग	88.11	15.60	72.51
34	87	सैनिक कल्याण विभाग	8.64	0.00	8.64
35	94	सिंचाई विभाग (निर्माण)	198.79	39.57	159.22
36	95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	483.40	403.06	80.34
योग			11,012.35	3,119.35	7,893.00
पूँजीगत-दत्तमत					
1	2	आवास विभाग	2.43	0.79	1.64
2	9	ऊर्जा विभाग	28.93	0.00	28.93
3	13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	203.22	138.83	64.39
4	18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	15.58	0.00	15.58
5	26	गृह विभाग (पुलिस)	363.24	0.00	363.24
6	27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	7.91	0.00	7.91
7	31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	20.49	0.00	20.49
8	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	230.68	0.00	230.68
9	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	7.30	0.00	7.30
10	36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	26.53	0.00	26.53
11	37	नगर विकास विभाग	737.99	627.13	110.86
12	40	नियोजन विभाग	459.70	35.00	424.70
13	42	न्याय विभाग	21.23	0.00	21.23
14	43	परिवहन विभाग	1.44	0.38	1.06
15	47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	132.31	130.89	1.42
16	49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	2.85	0.00	2.85
17	50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	16.61	0.05	16.56
18	56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम)	18.60	5.91	12.69
19	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	222.64	0.00	222.64
20	62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते एवं पेंशन)	93.32	0.00	93.32
21	73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	123.76	0.00	123.76
22	79	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	98.32	0.00	98.32
23	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	10.20	0.00	10.20
24	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	588.84	0.00	588.84
योग			3,434.12	938.98	2,495.14
राजस्व-भारित					
1	9	ऊर्जा विभाग	6.58	0.00	6.58
2	42	न्याय विभाग	31.32	0.00	31.32
3	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	1,645.13	0.00	1645.13
योग			1,683.03	0.00	1,683.03
पूँजीगत-भारित					
1	42	न्याय विभाग	51.88	0.00	51.88
2	61	वित्त विभाग (ऋण सेवायें तथा अन्य व्यय)	9,934.16	0.00	9,934.16
योग			9,986.04	0.00	9,986.04
महायोग			26,115.54	4,058.33	22,057.21

2.11 व्यय की अधिकता

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.3.14; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

राजस्व					
मुख्य शीर्ष	व्यय की प्रकृति	कुल बजट	व्यय	मार्च 2013 में व्यय	प्रतिशत
2215	जलापूर्ति तथा सफाई	23.10	23.00	15.67	68.13
2425	सहकारिता	1,224.59	1,199.16	561.28	46.81
2810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	57.60	56.81	24.64	43.37
2501	ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	281.15	120.56	48.72	40.41
2230	श्रम तथा रोजगार	2,629.82	1,102.67	443.78	40.25
2015	निर्वाचन	289.85	250.14	93.69	37.46
3054	सड़क तथा सेतु	1,854.13	2,024.24	713.79	35.26
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,382.04	4,468.38	1,566.86	35.07
2216	आवास	57.07	59.35	20.52	34.57
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	5,380.26	4,504.11	1,437.77	31.92
2404	दुग्धशाला विकास	92.51	80.10	23.83	29.75
2220	सूचना तथा प्रचार	145.99	58.24	17.19	29.52
2217	शहरी विकास	1,054.27	877.88	250.47	28.53
3452	पर्यटन	23.77	18.24	4.80	26.32
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	29.29	29.29	7.70	26.29
2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	134.24	121.90	31.04	25.46
2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	321.01	267.80	66.73	24.92
2030	स्टाम्प तथा पंजीकरण	241.83	237.57	58.87	24.78
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	6,244.67	6,179.24	1,530.51	24.77
2575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	102.16	27.38	6.28	22.94
2401	फसल कृषि-कर्म	2,130.11	1,563.65	350.36	22.41
2700	वृहद सिंचाई	567.44	574.09	127.58	22.22
2711	बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	90.00	148.87	32.44	21.79
2853	अलौह खनन	22.88	19.33	4.10	21.21
3435	विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	3.97	3.37	0.71	21.07
2211	परिवार कल्याण	2,672.05	2,450.65	514.83	21.01
2205	कला एवं संस्कृति	49.08	43.08	9.02	20.94
2202	सामान्य शिक्षा	32,912.43	29,046.91	5,981.71	20.59
2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	8.87	8.00	1.63	20.38
2204	खेल तथा युवा सेवाएँ	154.90	120.98	24.44	20.20
2059	लोक निर्माण	1,577.71	895.10	178.37	19.93
2203	तकनीकी शिक्षा	238.05	171.65	32.60	18.99
2852	उद्योग	98.43	80.69	15.28	18.94

2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	5,628.72	5,068.20	952.16	18.79
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	96.59	60.15	11.09	18.44
3053	नागर विमानन	2.66	2.07	0.37	17.87
3055	सड़क परिवहन	118.56	96.63	16.98	17.57
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,108.11	769.92	134.39	17.46
2402	मृदा तथा जल संरक्षण	728.75	597.82	100.16	16.75
2041	वाहनों पर कर	0.69	0.60	0.10	16.67
2705	कमान क्षेत्र विकास	280.00	202.27	32.80	16.22
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	10,226.34	9,114.42	1,459.43	16.01
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल	113.91	97.87	15.09	15.42
योग		83,399.60	72,842.38	16,919.78	
पूँजीगत					
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	5.00	1.77	1.77	100.00
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	2.29	2.29	2.29	100.00
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	7.00	5.36	5.36	100.00
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	294.84	82.00	72.95	88.96
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	1,276.88	1,312.50	1,026.22	78.19
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	118.39	57.97	40.33	69.57
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	701.96	348.73	241.60	69.28
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	99.13	71.24	44.30	62.18
4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	318.64	123.01	73.72	59.93
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	972.23	707.08	393.84	55.70
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	797.13	608.75	336.36	55.25
4415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय	128.65	126.83	69.65	54.92
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	640.91	685.27	375.05	54.73
4401	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	595.83	419.90	208.03	49.54
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,989.01	846.02	418.94	49.52
4215	जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,781.07	1,612.21	765.58	47.49
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,447.69	1,119.77	523.47	46.75
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	5,887.33	8,488.58	3,874.44	45.64
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	724.75	570.30	226.84	39.78
4700	वृहद सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	1,608.24	1,072.18	376.96	35.16
4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	683.70	687.31	219.67	31.96
4801	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,924.52	3,858.88	1,184.54	30.70
4217	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	3,255.87	2,334.99	715.02	30.62
5053	नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय	57.00	23.98	4.79	19.97
4406	वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूँजीगत परिव्यय	172.29	173.04	34.06	19.68
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,531.76	1,143.91	207.94	18.18
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	418.43	461.50	75.18	16.29
योग		29,440.54	26,945.37	11,518.90	

2.12

दो समीक्षित अनुदानों का सार

(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.4; पृष्ठ 55)

(₹ हजार में)

विवरण	धनराशि	योग	वास्तविक व्यय	बचत	लेखा शीर्ष
अनुदान सं0.11—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)					
राजस्व—दत्तमत					
मूल	26,88,55,44	26,90,05,45	20,45,13,40	6,44,92,05	मुख्य शीर्ष 2013, 2401, 2402, 2415, 2435
अनुपूरक	1,50,01				
राजस्व—भारित					
मूल	15,20	15,20	7,37	7,83	मुख्य शीर्ष 2401, 2402
अनुपूरक	शून्य				
पूंजीगत—दत्तमत					
मूल	7,16,01,56	7,17,01,56	5,39,29,00	1,77,72,56	मुख्य शीर्ष 4401,4415
अनुपूरक	1,00,00				
महायोग	34,07,22,21	34,07,22,21	25,84,49,77	8,22,72,44	
अभ्यर्पित धनराशि:		राजस्व—दत्तमत		6,47,70,16	
		पूंजीगत—दत्तमत		1,77,46,08	
अनुदान सं0.32—चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)					
राजस्व —दत्तमत					
मूल	32,07,14,24	32,12,19,24	28,08,40,11	4,03,79,13	मुख्य शीर्ष 2013,2210,2230
अनुपूरक	5,05,00				
राजस्व —भारित					
मूल	20,00	20,00	शून्य	20,00	मुख्य शीर्ष 2210
अनुपूरक	शून्य				
पूंजीगत —दत्तमत					
मूल	5,83,68,94	5,83,68,94	3,53,00,82	2,30,68,12	मुख्य शीर्ष 4210,4216
अनुपूरक	शून्य				
महायोग	37,96,08,18	37,96,08,18	31,61,40,93	6,34,67,25	
अभ्यर्पित धनराशि:		राजस्व—दत्तमत		शून्य	
		पूंजीगत—दत्तमत		शून्य	
अनुदान सं0.11 एवं 32 का महायोग					
राजस्व —दत्तमत					
मूल	58,95,69,68	59,02,24,69	48,53,53,51	10,48,71,18	
अनुपूरक	6,55,01				
राजस्व —भारित					
मूल	35,20	35,20	7,37	27,83	
अनुपूरक	शून्य				
पूंजीगत —दत्तमत					
मूल	12,99,70,50	13,00,70,50	8,92,29,82	4,08,40,68	
अनुपूरक	1,00,00				
महायोग	72,03,30,39	72,03,30,39	57,45,90,70	14,57,39,69	
अभ्यर्पित धनराशि:		राजस्व—दत्तमत		6,47,70,16	
		पूंजीगत—दत्तमत		1,77,46,08	

दो समीक्षित अनुदानों के अप्रयुक्त बजट प्रावधानों का विवरण (सन्दर्भ: प्रस्तर 2.4; पृष्ठ 55)

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	लेखा शीर्ष	योजना का नाम	बजट प्रावधान	अभ्यर्पित धनराशि
अनुदान संख्या 11 – कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)				
1	2401-109-08	कृषि विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग	8.19	8.19
2	2401-111-05	फसलों की उत्पादकता तथा उत्पाद के आँकड़ों का डाटा बैंक	22.27	22.27
3	2401-800-01	केंद्रीय योजना/केंद्रीय पुरोनिधानित योजना	1.18	1.18
4	2402-102-03	बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई एवं वर्षा जल संचय योजना	18.59	18.59
5	2415-80-120-26	उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि अनुसंधान सुविधाओं का सुदृढीकरण	1.71	1.71
अनुदान संख्या 32 – चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)				
6	4210-01-110-46	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, लखनऊ में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना	5.00	5.00
7	4210-01-110-77	जिला/संयुक्त एवं अन्य अस्पतालों हेतु उपकरणों का क्रय	12.00	12.00
8	4210-02-110-09	आजमगढ़ जनपद के तरवान में 100 शैया युक्त अस्पताल भवन का निर्माण	0.50	0.50
9	4210-02-800-97	वाह्य सहायित परि योजनाएँ	5.00	5.00
योग			74.44	74.44

2.14

पेंशन की असंवितरित धनराशि जो शासकीय लेखे में
जमा नहीं की गई
(सन्दर्भ: प्रस्तर 2.5.1; पृष्ठ 56)

क्र० सं०	कोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	असंवितरित धनराशि (₹)	क्र० सं०	कोषागार का नाम	पेंशनरों की संख्या	असंवितरित धनराशि (₹)
1	बस्ती	21	5,16,483.00	2	मुजफ्फरनगर	7	1,39,188.00
3	बलरामपुर	3	16,922.00	4	औरैया	19	3,07,298.00
5	गोंडा	32	4,06,605.00	6	इलाहाबाद (कलेक्ट्रेट)	19	2,83,407.00
7	सीतापुर	12	1,02,928.00	8	बुलंदशहर	18	4,20,979.00
9	रमाबाई नगर	6	68,521.00	10	गाजियाबाद	34	3,85,677.00
11	इटवा	5	62,047.00	12	इलाहाबाद, सिविल लाइन	15	3,37,754.00
13	आगरा	7	47,878.00	14	प्रतापगढ़	4	2,29,257.00
15	एटा	1	3,671.00	16	देवरिया	21	1,54,373.00
17	जालौन	4	26,262.00	18	संत रविदास नगर	41	4,18,735.00
19	फर्रुखाबाद	4	28,761.00	20	गोरखपुर	35	5,62,208.00
21	सोनभद्र	10	3,44,968.00	22	महाराजगंज	6	27,646.00
23	मिर्जापुर	16	4,29,539.00	24	फतेहपुर	14	76,754.00
25	चंदौली	12	3,45,730.00	26	बलिया	33	3,61,005.00
27	फैजाबाद	3	24,924.00	28	अलीगढ़	25	5,71,739.00
29	हमीरपुर	19	4,06,390.00	30	पीलीभीत	11	46,479.00
31	जवाहर भवन	37	8,97,785.00	32	कांशीराम नगर	6	1,31,499.00
33	ज्योतिबा फूले नगर	5	77,263.00	34	महामाया नगर	15	1,02,442.00
35	बिजनौर	4	69,664.00	36	झांसी	14	1,08,994.00
37	मेरठ	31	3,70,316.00	38	आजमगढ़	26	6,19,003.00
39	बागपत	4	69,980.00	40	गाजीपुर	76	9,58,072.00
41	वे.एवं ले.अ.दिल्ली	10	2,13,353.00	योग		685	1,07,72,499.00

3.1 31 मार्च 2013 को अवशेष उपभोग प्रमाण-पत्र (संदर्भ: प्रस्तर 3.1; पृष्ठ 59)

(₹ लाख में)

क्र० सं०	विभाग का नाम	अनुदान के भुगतान का वर्ष	कुल भुगतानित अनुदान		उपभोग प्रमाण-पत्र				उपभोग प्रमाण-पत्रों का अवशेष रहने का कारण
			संख्या	धनराशि	प्राप्त		अवशेष		
					संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	
1.	महिला कल्याण	2011-12	4	60,272.00	1	59,586.00	3	686.00	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
2.	समाज कल्याण	2009-10	उपलब्ध नहीं	2,23,486.98	उपलब्ध नहीं	2,18,822.11 ¹	उपलब्ध नहीं	4,664.87	उपभोग प्रमाण पत्र जनपद से प्राप्त किये जा रहे हैं।
		2010-11	उपलब्ध नहीं	2,14,557.11	उपलब्ध नहीं	2,11,224.48 ²	उपलब्ध नहीं	3,332.63	
		2011-12	22	3,03,474.99	3	1,01,991.92	19	2,01,483.07	
3.	प्राविधिक शिक्षा	2010-11	19	287.51	16	208.73	3	78.78	उपभोग प्रमाण-पत्र संस्थानों से प्राप्त किये जा रहे थे।
		2011-12	19	62.97	शून्य	0.00	19	62.97	
4.	उच्च शिक्षा	2010-11	96	1,040.00	70	770.00 ³	23	270.00	स्नातक महाविद्यालय द्वारा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को, उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण वसूली हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
		2011-12	56	995.00	11	190.00	45	805.00	
5.	सैनिक कल्याण	2010-11	51	156.50	33	93.60	18	62.90	कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया गया।
		2011-12	97	2,434.45	58	1,595.64 ⁴	39	838.81	
6.	पंचायती राज	2007-08	71	17,380.00	शून्य	0.00	71	17,380.00	दिनांक 27 जून 2012 के पत्र के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र मांगा गया था।
		2008-09	71	1,82,290.94	शून्य	0.00	71	1,82,290.94	
		2009-10	71	97,118.19	शून्य	0.00	71	97,118.19	
		2010-11	72	1,25,023.93	शून्य	0.00	72	1,25,023.93	
		2011-12	72	1,50,854.94	शून्य	0.00	72	1,50,854.94	
7.	पर्यटन ⁵	2005-06	उपलब्ध नहीं	30.00	उपलब्ध नहीं	23.24	उपलब्ध नहीं	6.76	उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए पत्राचार किए गए हैं।
		2006-07	उपलब्ध नहीं	45.00	उपलब्ध नहीं	36.63	उपलब्ध नहीं	8.37	
		2007-08	उपलब्ध नहीं	45.00	उपलब्ध नहीं	33.61	उपलब्ध नहीं	11.39	

¹प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्रों में ₹ 23,129.81 लाख की अभ्यर्पित धनराशि सम्मिलित।²प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्रों में ₹ 24,342.09 लाख की अभ्यर्पित धनराशि सम्मिलित।³प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्रों में ₹ 30.00 लाख की अभ्यर्पित धनराशि सम्मिलित।⁴प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्रों में ₹ 259.96 लाख की अभ्यर्पित धनराशि सम्मिलित।⁵वर्ष 2005-06 से वर्ष 2008-09 के लिए उपभोग प्रमाण-पत्र जिसमें ₹ 27.74 लाख सम्मिलित है, अधीनस्थ कार्यालयों में संकलित कर लिए गए परन्तु महालेखाकार (ले० एवं ह०)-1, उ०प्र० इलाहाबाद में प्रस्तुत करने के लिए प्रतीक्षित है।

		2008-09	उपलब्ध नहीं	22.50	उपलब्ध नहीं	21.28	उपलब्ध नहीं	1.22	
8.	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ उ०प्र०	2009-10	09	8,494.97	08	8,488.12	01	6.85	संबंधित परियोजना अधिकारियों द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण।
		2011-12	15	28,083.67	14	9,761.54	01	18,322.13	
9.	दुग्ध विकास	2007-08	881	11,752.28	564	7,541.52	317	4,210.75	दुग्ध संघ/संस्थानों द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण।
		2008-09	812	8,385.30	497	5,291.54	315	3,093.76	
		2009-10	552	1,082.07	379	724.07	173	358.00	
		2010-11	317	1,960.64	212	1,525.79	105	434.85	
		2011-12	584	2,801.22	409	1,906.99	175	894.23	
10.	आयुर्वेदिक सेवाएँ उ०प्र०	2010-11	01	6.87	01	6.78	शून्य	0.09	वर्ष 2010-11 में ₹ 0.09 लाख एवं वर्ष 2011-12 में ₹ 0.01 लाख की अवशेष धनराशि बैंक खाते में रखी गयी एवं आगामी वित्तीय वर्ष में उपयोग की जाएगी
		2011-12	01	1.99	01	1.98	शून्य	0.01	
11.	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क	2005-06	06	46.00	03	26.00	03	20.00	संबंधित संस्थानों द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण।
		2006-07	18	194.86	14	173.86	04	21.00	
12.	समाज कल्याण (जनजाति विकास)	2006-07	50	122.69	33	99.91	17	22.78	जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण।
		2007-08	60	871.30	15	470.70	45	400.60	
		2008-09	50	859.85	13	352.87	37	506.98	
		2009-10	40	575.29	09	373.45	31	201.84	
		2010-11	44	207.08	09	26.43	35	180.65	
		2011-12	39	1,367.59	05	90.88	34	1,276.71	
13.	अल्प संख्यक (उ०प्र० राज्य हज समिति, लखनऊ)	2006-07	03	186.35	02	176.35	01	10.00	धनराशि व्यय न होने के कारण।
योग							1,820	8,14,942.00	

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के लेखाओं का अंतिमीकरण और निवेशों का विवरण (संदर्भ: प्रस्तर 3.3; पृष्ठ 60)

क्र० सं०	उपक्रम का नाम	लेखाओं के अंतिमीकरण का वर्ष	विगत अंतिम लेखे के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)
सिंचाई विभाग			
1	सिंचाई निर्माण खण्ड, कानपुर	2012-13	0.19
2	सिंचाई निर्माण खण्ड, झाँसी	2012-13	0.44
3	सिंचाई निर्माण खण्ड, बरेली	2012-13	2.15
4	सिंचाई निर्माण खण्ड, मेरठ	2012-13	0.49
5	सिंचाई निर्माण खण्ड, गोरखपुर	2012-13	1.54
6	सिंचाई निर्माण खण्ड, इलाहाबाद	2012-13	1.78
पशुपालन विभाग			
7	राजकीय पशुधन सह कृषि फार्म	2009-10	17.03
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग			
8	खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना	2009-10	2,566.73
स्वास्थ्य विभाग			
9	स्टेट फार्मसी आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन	1987-88	0.09
समाज कल्याण विभाग			
10	क्रिमिनल ट्राइब्स सेटलमेंट टेलरिंग फैक्ट्री, (कानपुर)	1979-80	0.04
योग			2,590.48

दुर्विनियोग, गबन आदि के विभागवार/वर्षवार प्रकरणों का विवरण
(जिनमें अंतिम कार्यवाही मार्च 2013 तक लम्बित थी)
(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 61)

(कोष्ठक में आँकड़े ₹ लाख में प्रदर्शित हैं)

क्र० सं०	विभाग का नाम	5 वर्ष तक	5 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से अधिक	प्रकरणों का योग
1	कृषि विभाग	-	4 (9.09)	-	-	-	-	4 (9.09)
2	पशुपालन विभाग	-	1 (3.20)	1 (0.26)	8 (1.25)	5 (1.82)	1 (0.02)	16 (6.55)
3	सहकारिता विभाग	-	-	1(1.28)	1(0.17)	-	-	2 (1.45)
4	शिक्षा विभाग	5 (112.94)	-	1 (5.00)	-	-	-	6 (117.94)
5	मत्स्य विभाग	1 (1.01)	-	-	2 (0.85)	1 (1.22)	-	4 (3.08)
6	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	-	1(3.06)	-	1 (0.30)	4 (22.10)	3 (3.32)	9 (28.78)
7	सिंचाई विभाग	6 (110.96)	10 (0.56)	5 (3.60)	20 (5.91)	-	-	41 (121.03)
8	न्याय विभाग	-	1 (4.44)	-	-	-	-	1 (4.44)
9	भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	-	-	-	3 (331.78)	3 (331.78)
10	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	-	-	2 (3.95)	6 (4.57)	3 (7.37)	11 (15.89)
11	पुलिस विभाग	2 (4.00)	-	-	-	1 (1.21)	3 (2.89)	6 (8.10)
12	पी.ए.सी.	-	-	1 (47.48)	-	1 (0.51)	-	2 (47.99)
13	लोक निर्माण विभाग	6 (118.12)	5 (35.43)	1 (0.98)	-	-	-	12 (154.53)
14	राजस्व विभाग	2 (9.29)	-	1 (1.72)	-	-	3 (6.09)	6 (17.10)
15	ग्राम्य विकास विभाग	-	-	-	3 (1.65)	-	9 (2.19)	12 (3.84)
16	समाज कल्याण विभाग	1 (4.44)	-	-	1 (0.25)	-	2 (0.70)	4 (5.39)
17	प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1 (11.59)	-	-	-	1 (11.59)
18	बाट एवं माप विभाग	-	-	-	-	1 (1.01)	-	1 (1.01)
19	उद्यान विभाग	-	1 (3.59)	-	-	-	-	1 (3.59)
20	वित्त विभाग	-	-	-	-	1 (0.67)	-	1 (0.67)
योग		23 (360.76)	23 (59.37)	12 (71.91)	38 (14.33)	20 (33.11)	27 (354.36)	143 (893.84)

चोरी, दुर्विनियोग, सरकारी सामग्रियों की हानि एवं गबन के कारण राज्य सरकार को हुई क्षति के प्रकरणों का विभागवार/श्रेणीवार विवरण
(संदर्भ: प्रस्तर 3.4; पृष्ठ 61)

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोग के प्रकरण		हानि के प्रकरण		गबन के प्रकरण		योग	
	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि	प्रकरण की संख्या	धनराशि
कृषि विभाग	1	1.47	1	5.45	2	2.17	-	-	4	9.09
पशुपालन विभाग	11	1.78	-	-	3	1.55	2	3.22	16	6.55
सहकारिता विभाग	1	1.28	-	-	-	-	1	0.17	2	1.45
शिक्षा विभाग	2	6.60	1	6.19	-	-	3	105.15	6	117.94
मत्स्य विभाग	-	-	-	-	2	1.70	2	1.38	4	3.08
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	-	-	-	-	4	10.15	5	18.63	9	28.78
सिंचाई विभाग	33	15.84	3	29.72	3	5.28	2	70.19	41	121.03
न्याय विभाग	-	-	-	-	-	-	1	4.44	1	4.44
भूमि अध्याप्ति विभाग	-	-	2	5.78	-	-	1	326.00	3	331.78
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	8	11.91	-	-	-	-	3	3.98	11	15.89
पुलिस विभाग	-	-	-	-	2	4.01	4	4.09	6	8.10
पी.ए.सी.	-	-	-	-	-	-	2	47.99	2	47.99
लोक निर्माण विभाग	3	1.63	2	6.16	7	146.74	-	-	12	154.53
राजस्व विभाग	-	-	-	-	-	-	6	17.10	6	17.10
ग्राम्य विकास विभाग	5	1.38	-	-	1	0.14	6	2.32	12	3.84
समाज कल्याण विभाग	-	-	-	-	-	-	4	5.39	4	5.39
प्राविधिक शिक्षा विभाग	-	-	1	11.59	-	-	-	-	1	11.59
बाट एवं माप विभाग	1	1.01	-	-	-	-	-	-	1	1.01
उद्यान विभाग	-	-	-	-	-	-	1	3.59	1	3.59
वित्त विभाग	-	-	-	-	-	-	1	0.67	1	0.67
योग	65	42.90	10	64.89	24	171.74	44	614.31	143	893.84

(₹ लाख में)

क्र० सं०	विभाग का नाम	प्राधिकारी	संक्षिप्त विवरण	प्रकरणों की संख्या	धनराशि
1	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नकद की डकैती, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, रामपुर	एक	0.47
2	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	डीडीटी के 20 किरा0 के 73 ड्रमों की चोरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, रामपुर	एक	0.20
3	राजस्व विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	अमीन द्वारा डी.एम. कार्यालय, बलिया में गबन	एक	0.33
4	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	खैरा स्टोर में चोरी, अधिशासी अभियंता, बहराइच, 1994	एक	0.30
5	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	शासकीय नलकूप से शासकीय सामग्रियों की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर	एक	0.13
6	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं० 30 एसबी से सामग्रियों की चोरी, बुलंदशहर 2007	एक	0.05
7	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं० 98 एसबी से मोटर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2008	एक	0.04
8	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं० 165 एसबी से मोटर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2007	एक	0.03
9	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं० 126 जेबी से सामग्रियों एवं मोटर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2008	एक	0.04
10	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं० 47 एसबी से सामग्रियों एवं कापर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2007	एक	0.06
11	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं० 131 एसबी से सामग्रियों एवं कापर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2007	एक	0.06
12	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं० 37 एसबी से कॉपर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2007	एक	0.03
13	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं० 46 डीवी में रि-वाइडिंग वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2007	एक	0.08
14	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं० 55 एसबी में कॉपर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2007	एक	0.06
15	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	रि-वाइडिंग वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2007	एक	0.03
16	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	रि-वाइडिंग वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2008	एक	0.04
17	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	रि-वाइडिंग कापर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2008	एक	0.05
18	सिंचाई विभाग	उत्तर प्रदेश सरकार	नलकूप सं० 51 एसबी से रि-वाइडिंग कापर वायर की चोरी, अधिशासी अभियंता कार्यालय, बुलंदशहर 2008	एक	0.03
				योग	2.03

गणना का आधार

पद	गणना का आधार
प्राचल की उत्प्लावनता	प्राचल की वृद्धि/सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि
प्राचल (एक्स) की उत्प्लावनता अन्य प्राचल (वाई) के संदर्भ में	प्राचल (एक्स) की वृद्धि दर/प्राचल (वाई) की वृद्धि दर
वृद्धि दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की धनराशि} / \text{विगत वर्ष की धनराशि}) - 1] \times 100$
विकास पर व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{विगत वर्ष की राजकोषीय देयताएं} + \text{वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं}) / 2] \times 100$
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि - आकलित ब्याज दर
मात्रा विस्तार	ऋण स्टाक x ब्याज विस्तार
बकाया ऋण से ब्याज प्राप्ति का प्रतिशत	$\text{प्राप्ति ब्याज} [(\text{प्रारम्भिक अवशेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतिम अवशेष}) / 2] \times 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + शुद्ध ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी. सी. आर.)	राजस्व प्राप्तियां - लेखाशीर्ष 2048 - ऋण की कमी अथवा परिहार हेतु विनियोग के अंतर्गत व्यय को छोड़कर समस्त आयोजनागत अनुदान तथा आयोजनेत्तर व्यय

पदों की व्याख्या

पद	व्याख्या
उत्प्लावनता अनुपात	उत्प्लावनता अनुपात राजकोषीय चर की, आधार चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियाशीलता/लचीलापन की मात्रा को इंगित करता है। उदाहरणार्थ वर्ष 2008-09 के लिए राजस्व उत्प्लावनता का मान 0.8 का अर्थ है कि जी.एस.डी.पी. की एक प्रतिशत की बढ़त होने पर राजस्व प्राप्ति में 0.8 प्रतिशत की बढ़त होगी।
कोर पब्लिक गुड्स एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी सामग्रियों जिनका उपभोग सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति करता है एवं किसी व्यक्ति द्वारा उस सामग्री के प्रयोग से दूसरे व्यक्ति को उस सामग्री के उपभोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे कानून एवं व्यवस्था का आरोहण, हमारे अधिकारों की संरक्षा एवं सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय सामग्रियां तथा सड़क अवसंरचना इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी सामग्रियां हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा मुफ्त या सहायित दरों पर इसलिए उपलब्ध कराये जाते हैं, क्योंकि लोगों अथवा संस्थाओं को उन वस्तुओं की आवश्यकता है तथा जिसके भुगतान के लिए उनके पास न ही क्षमता है और न ही इच्छाशक्ति। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र उन वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देती है। उदाहरणार्थ गरीबों को पोषण प्रदान करने हेतु सहायित या मुफ्त भोजन को उपलब्ध कराना, मृत्यु दर को घटाने एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना, सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, पेयजल एवं स्वच्छता इत्यादि।
विकास व्यय	व्ययों के आँकड़ों का विश्लेषण विकास एवं गैर विकास के कार्यों पर हुए व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा पूंजीगत परिव्यय एवं ऋण तथा अग्रिमों से संबंधित व्यय को सामाजिक सेवा, आर्थिक सेवा एवं सामान्य सेवाओं से विभाजित किया गया है। वृहद् रूप से सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया गया व्यय विकास व्यय होता है जबकि सामान्य सेवाओं पर किया गया व्यय गैर व्यय है।
ऋण एवं संवहनीयता	राज्य द्वारा ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात को स्थिर रखने की क्षमता को परिभाषित करता है एवं संबंधित के ऋण वापसी की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। तरल संपत्तियों की पर्याप्तता, चालू या वचनबद्ध बाध्यताओं को पूरा करने, तथा अतिरिक्त उधारी की लागत तथा उधारी के प्रतिफल में संतुलन बनाये रखने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। इसका अर्थ यह है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण वापसी की क्षमता से सुमेल होना चाहिए।
ऋण स्थिरता	यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज की लागत दर या सार्वजनिक उधारी से अधिक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात संभवतः स्थिर होगा। बशर्तें प्राथमिक अवशेष या तो शून्य या धनात्मक या मामूली ऋणात्मक हो। आगणित दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण*दर विस्तार), के आधार पर यदि प्राथमिक घाटा के साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा या अंततोगत्वा ऋण में स्थिरता होगी। दूसरी स्थिति में यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक हो जाय तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी एवं यदि किसी स्थिति में यह धनात्मक हो तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात अंततः गिरेगा।
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता	वृद्धिमान ब्याज देयताओं एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के आधार पर राज्य की वृद्धिमान गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। यदि वृद्धिमान गैर-ऋण प्राप्तियों वृद्धिमान ब्याज भार एवं वृद्धिमान प्राथमिक व्यय को वहन कर लेती है तो ऋण की संवहनीयता में पर्याप्त मात्रा में मदद मिल सकेगी।
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	उधार निधियों की निवल उपलब्धता, ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) एवं कुल ऋण प्राप्तियों के अनुपात के रूप में परिभाषित है तथा उधार निधियों की निवल उपलब्धता प्रदर्शित करती है कि ऋण प्राप्तियों का किस सीमा तक ऋण विमोचन हेतु प्रयोग किया गया है।
विनियोग लेखे	विधान सभा द्वारा प्रत्येक दत्तमत अनुदानों एवं भारत विनियोगों के अंतर्गत बजट अनुदान में प्राधिकृत कुल निधियों (मूल एवं अनुपूरक) की धनराशि की तुलना में प्रत्येक के विरुद्ध व्यय धनराशि एवं प्रत्येक अनुदान या विनियोग के अंतर्गत बचत या आधिक्य का विवरण विनियोग लेखे में होता है। अनुदान से अधिक किसी भी व्यय को विधायिका द्वारा विनियमन अपेक्षित होता है।

स्वायत्त निकाय	जब कभी सरकारी व्यवस्था से अलग कुछ सीमा तक स्वतंत्रता एवं सरकारी कार्य प्रणाली के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप के बगैर लचीलेपन के साथ कुछ क्रियाओं को संपादित करने की आवश्यकता महसूस होती है तब स्वायत्त निकायों (प्रायः पंजीकृत समितियां या सांविधिक निगमों) की स्थापना की जाती है।
वचनबद्ध व्यय	राजस्व लेखों पर मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी, जिस पर वर्तमान कार्यकारिणी का सीमित नियंत्रण होता है, राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय होते हैं।
राज्य क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य सरकार द्वारा जिसमें कोई संगठन/संस्था, अशासकीय संगठनों को सम्मिलित कर राज्य में विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है राज्य क्रियान्वयन अभिकरण होते हैं। जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण इत्यादि।
आकस्मिक देयतायें	किसी के द्वारा भविष्य में घटने वाली घटनाओं के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं का सृजन किया/नहीं किया जा सकता है जैसे न्यायालयी प्रकरण।
सिंकिंग फण्ड (शोधन निधि)	सरकार द्वारा एक निधि की स्थापना अपने ऋणों से मुक्ति हेतु की जाती है जिसमें समयान्तर्गत धन आरक्षित किया जाता है।
प्रत्याभूति विमोचन निधि	राज्य के समेकित निधि पर ऋणी जिसके लिए प्रत्याभूति विस्तारित की गयी, ऋणी द्वारा ऋण वापस न करने की स्थिति में उत्पन्न आकस्मिक प्रत्याभूति देयतायें होती हैं। प्रत्याभूति विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बकाया प्रत्याभूतियों के प्राप्त न हुए एवं वर्तमान वर्ष में वृद्धिमान प्रत्याभूतियों के प्राप्त न होने वाली धनराशि की स्थिति में उसके कम से कम पांचवें हिस्से के योगदान निधि में होना चाहिए।
आन्तरिक ऋण	भारत में लोगों द्वारा नियमित प्राप्त ऋणों को आंतरिक ऋण कहते हैं। जिसे "भारत में एकल ऋण" भी कहा जाता है। यह समेकित निधि को क्रेडिट किये जाने वाले ऋण तक सीमित होता है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	राजस्व व्यय से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राथमिक राजस्व व्यय आता है।
पुनर्विनियोग	मूल विनियोग के इकाई से अन्य उसी प्रकार की इकाई को धनराशि का हस्तांतरण।
लोक लेखा समिति	विधान सभा द्वारा गठित समिति जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के, राज्य के विनियोग लेखों, राज्य के वार्षिक वित्तीय लेखों या इस प्रकार के अन्य लेखों या वित्तीय मामलों पर, रिपोर्ट की जाँच करें एवं यह समिति जिसकी जाँच करना आवश्यक समझें।

प्रथमाक्षरी

प्रथमाक्षरी	पूर्ण विस्तार
ए सी बिल	सार आकस्मिक बिल
ए ई	कुल व्यय
बी ई	बजट अनुमान
सी ए जी	भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
सी ई	पूँजीगत व्यय
डी सी सी बिल	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल
डी सी आर एफ	ऋण संकलन एवं राहत सुविधा
डी ई	विकास व्यय
एफ सी पी	राजकोषीय सुधार पथ
एफ आर बी एम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन
जी ओ आई	भारत सरकार
जी एस डी पी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
आई पी	ब्याज भुगतान
एम टी एफ आर पी एस	मध्यकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति विवरण
एन पी आर ई	आयोजनेत्तर राजस्व व्यय
ओ एण्ड एम	संचालन एवं रख-रखाव
पी ए सी	लोक लेखा समिति
पी आर आई	पंचायती राज संस्थायें
आर ई	राजस्व व्यय
आर आर	राजस्व प्राप्तिर्यौ
एस एण्ड डब्ल्यू	वेतन एवं मजदूरी
एस ए आर	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
एस एस ई	सामाजिक सेवा व्यय
टी ई	कुल व्यय
टी एफ सी	तेरहवां वित्त आयोग
यू सी	उपभोग प्रमाण—पत्र
यू एल बी	नगरीय स्वायत्त निकाय